राजस्थान विधान सभा

बाईसवीं बैठक, मंगलवार, दिनांक–१८ मई, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में ४ बज कर १२ मिनट (मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष--श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ७२१

पुलिस सब इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग में सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन की सिफारिशें

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

पुलिस सब इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग में डिपार्टमेंटल व नॉन डिपार्टमेंटल लड़के भेजने को डिवीजन वाइज़ जो कमीशन सरकार द्वारा मुकर्रर किया जाता है उस कमीशन की सिफारिश के मुआफिक ही लड़के ट्रेनिंग में भेजे जाते हैं या आई. जी. पी. अपनी मर्जी के अनुसार उक्त कमीशन की सिफारिश में रद्दोबदल करके लड़के ट्रेनिंग में भेजते हैं?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हुए उम्मीदवार ही वय, योग्यताएं, स्थिति एवं चरित्र आदि के अनुसार मनोनीत किये जाते हैं।

पुलिस शिक्षणालय में प्रवेश के हेतु अन्तिम निर्वाचन, आवश्यक संख्या में उम्मीदवारों को मौखिक एवं लिखित मिश्रित परीक्षाफलों के आधार पर योग्यतानुसार तैयार की गई सूची में किया जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मेरा प्रश्न यह है कि जो डिवीजन वाइज़ कमीशन सरकार द्वारा मुकर्रर है; क्या उसके निर्णय को रद्दोबदल करने का आई. जी. पी. को अधिकार है?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि प्रश्न का उत्तर मिल गया है। प्रश्न थोड़ा गलत तरीके से रखा गया। अलग-अलग परीक्षाएं हुआ करती हैं और मौखिक परीक्षा भी हुआ करती है। इसलिए केवल आई. जी. पी. या कमेटी के हाथ से पास होने की बात नहीं है। सिलसिलेवार पास होने की बात है।

श्री चांदमल मेहता—सन् १९५३-५४ में जयपुर डिवीजन से डिपार्टमेंटल केन्डीडेट आई. जी. पी. साहब ने अपनी स्वेच्छा से भेजा...

श्री जयनारायण व्यास—आई. जी. पुलिस विभाग के हेड हैं, मगर डिपार्टमेंट से केन्डीडेट भेजा उसके साथ-साथ मौखिक परीक्षा के अलावा जो भिन्न-भिन्न परीक्षाफल हुआ करते हैं उनको ध्यान में रखा होगा।

श्री चांदमल मेहता—जब कमेटी ने सिफारिश की थी तो क्या उसके बाद में आई. जी. पी. ने केन्डीडेट को भेजा था?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि दूसरे परीक्षक अलग-अलग परीक्षाएं लेते हैं और उन्हीं के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी होती है।

श्री चाँदमल मेहता—मेरा मतलब यह है कि आई. जी. पी. साहब ने जो केन्डीडेट भेजा वह कमेटी की सिफारिश से भेजा या एग्ज़ामिनेशन के आधार पर भेजा?

श्री जयनारायण व्यास—मौखिक परीक्षा भी परीक्षा का एक अंग है। आई. जी. पी. साहब ने इन सब बातों को देख कर ही निर्णय किया होगा।

श्री चांदमल मेहता—मैं यही पूछना चाहता हूँ कि किस आधार पर रिकमन्ड किया? क्या सिफारिश के आधार पर?

श्री जयनारायण व्यास—सिफारिश की बात गलत है, मौखिक व लिखित परीक्षाओं के फलों के आधार पर।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार जो ये परीक्षाओं के फल हैं उनके कागजात को सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हैं?

श्री जयनारायण व्यास—बिल्कुल नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२२

राजस्थान जिलों के निर्माण का आधार

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No.3

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) राजस्थान में ज़िलों का निर्माण किस आधार पर किया गया है ?

(ख) पाँच लाख से कम आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है ?

(ग) पन्द्रह लाख से ज्यादा आबादी वाले कितने जिले हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) राजस्थान में जिलों का निर्माण शासन की सुविधा व इतिहास को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ख) नौ (९).

(ग) एक।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार मौजूदा जिलों के निर्माण को ठीक मानती है ?

श्री जयनारायण व्यास—उस समय जैसा ठीक समझा, किया गया और उसके बाद में जिलों को अलग-अलग ढङ्ग से निर्माण की बातचीत चल रही है।

श्री चाँदमल मेहता—यह बात-चीत कब से चालू है और कब तक चालू रहेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जब से जिलों का निर्माण हुआ तब से बात-चीत चालू है और जब इसका अन्तिम निर्णय हो जायगा समाप्त हो जावेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसके लिए कोई अवधि मुकर्रर है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए कोई अवधि मुकर्रर करना मुश्किल है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जयपुर जिला इतना बड़ा है कि जिससे लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जयपुर जिला कोटा से बड़ा है और मैं यह भी बता दूँ कि जैसलमेर की टेरिटरी भी कोटा से बड़ी है, लेकिन जिलों के निर्माण में अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया जाता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि परबतसर, साँभर इत्यादि से अलग जिले की माँग की है ?

श्री जयनारायण व्यास—कई माँगें जिलों के निर्माण के लिए की गई हैं और इसी वजह से जिलों के निर्माण में देर हो रही है। अलग-अलग जगहों से अलग-अलग प्रकार की माँगें आई हैं।

Page No.4

श्री चांदमल मेहता—क्या जिलों का निर्माण करते समय पुराने राज्यों की बाउंड्रीज़ का ध्यान रखा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२३ तथा ७२४

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७२५

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७२६

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़).

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२७

वनस्पति घी का आयात खोलने का शासकीय निर्णय

श्री चाँदमल मेहता—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

क्या वनस्पति घी का आयात खोलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—नहीं।

श्री रोशनलाल—इसका क्या कारण है ?

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि आयात बन्द होते हुए भी राजस्थान में यह खुले आम बिक रहा है ?

श्री भोलानाथ—खुले आम तो पकड़ा जाता है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि राज्याधिकारी अपनी कृपा के बल पर उनको छोड़ देते हैं ?

श्री भोलानाथ—यह गलत बात है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—क्या इसके आयात को रोकना कानून संगत है?

श्री भोलानाथ—कानून के अनुसार है।

श्री हरिदेव जोशी—क्या यह आपकी जानकारी में है कि पार्लियामेंट में इस सम्बन्धी सवाल पूछा गया था और उसके सम्बन्धित मन्त्री ने जवाब दिया था कि इस प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती है?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७२८

राजस्थान शीप एन्ड वूल इम्प्रूवमेंट विभाग जयपुर से कहीं और ले जाया जाना

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान शीप एण्ड वूल इम्प्रूवमेंट विभाग जयपुर से बीकानेर या अन्यत्र कहीं और ले जाया जा रहा है?

(ख) यदि हाँ, तो कहाँ और क्यों? क्या वहाँ भेड़ों की संख्या अधिक है?

(ग) यदि ऐसा है तो सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने हजारों रुपया खर्च कर यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन और एक लेबोरेटरी क्यों खोली है? क्या अब वह यहाँ से हटाई जायगी और सामान अन्यत्र ले जाया जायगा?

(घ) यदि हाँ, तो जयपुर से इस विभाग को हटाए जाने में सरकार को कौन-सा विशेष लाभ होगा?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) बीकानेर। क्योंकि वहाँ अच्छी नस्ल वाली भेड़ों की संख्या जयपुर की अपेक्षा अधिक है।

[ग] सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग के स्कूल के लिए कोई नई सरकारी इमारत नहीं बनाई गई। पुरानी इमारत से ही काम चलाया जा रहा था। प्रथम दृष्टि से यह उचित प्रतीत होता है कि लेबोरेटरी वहीं रखा जाना आवश्यक है जहाँ पर डिपार्टमेंट का हैडक्वार्टर हो। इस विषय पर और

[श्री जयनारायण व्यास]

जाँच की जा रही है और यदि लेबोरेटरी बीकानेर भेजने का निर्णय हुआ तो यंत्र आदि भी वहीं भेजे जाएंगे जिसके लिए कोई विशेष खर्चा नहीं होगा।

[घ] बीकानेर और जोधपुर में भेड़ों की संख्या जयपुर से अधिक होने के कारण उनकी नस्ल सुधार और चराने वालों को अधिक मात्रा में लाभ होना व ऊन की क्वालिटी इत्यादि सभी प्रकार के सुधार जयपुर में नहीं हो सकते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री--तो क्या भेड़ों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आँकड़े लिए जाते हैं कि बीकानेर में अधिक है और जयपुर में इनकी संख्या कम ?

श्री जयनारायण व्यास—बराबर लिए जाते हैं।

प्रश्न संख्या ७२६

अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री गुरुदयालसिंह।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७३०

श्री अध्यक्ष—श्री भेरूँ सिंह (१६)

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७३१

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

प्रश्न संख्या ७३२

तहसील बनेड़ा में हाईस्कूल का भवन अधूरा

श्री कस्तूरचन्द—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

[क] क्या डि० भीलवाड़ा तहसील बनेड़ा में हाई स्कूल की इमारत अधूरी पड़ी हुई है ?

[ख] क्या इस इमारत के लिए कस्बे-वालों ने तीस हजार रुपये सरकार को दिए हैं ?

Page No.7

[श्री कस्तूरचन्द]

[ग] क्या इस अधूरी इमारत को सरकार पूरी करने का विचार रखती है ?

[घ] क्या सरकार के ध्यान में है कि लड़के इस इमारत में नहीं बैठकर धूप व वर्षा में बैठते हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) नहीं। कस्बे वालों ने सरकार को इसके लिये कोई रकम नहीं दी है। पब्लिक ने ही २० हजार रुपये के करीब की लागत का मकान बनाया है।

(ग) तथा (घ) हाँ। इमारत अधूरी होने के कारण छात्रों को धूप व वर्षा से कष्ट अवश्य होता है।

श्री कस्तूरचन्द—बिल्डिंग पड़ी हुई है, उसमें लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं तो सरकार इसके लिये क्या विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ—'घ' में हाँ का उत्तर दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस प्रश्न पर कितने दिनों से सरकार का विचार चल रहा है ?

श्री भोलानाथ—यह इमारत पब्लिक की ओर से बनाई गई है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इस इमारत को पूरा करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या सरकार इसको सहायता नहीं दे सकती ?

श्री भोलानाथ—नियमानुसार सहायता दी जाती है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—'घ' का सवाल माननीय मन्त्रीजी ने अच्छी तरह से नहीं फरमाया। जब इमारत अधूरी है तो उसको पूरा करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ—यह इमारत प्राइवेट लोगों द्वारा बनाई गई है। जब यह बिल्डिंग सरकार को दी जायगी तब उसकी उचित व्यवस्था की जायगी।

श्री कस्तूरचन्द—जब माननीय मन्त्रीजी बनेड़ा पधारे थे तब यह बिल्डिंग उनको सौंप दी गई थी ?

श्री भोलानाथ—मन्त्रीजी को नहीं सौंपी जाती है, नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मन्त्रीजी को क्या सौंपा जाता है ?

श्री भोलानाथ—जवाब देने का काम सौंपा जाता है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह स्कूल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है या यह प्राइवेट है ?

श्री भोलानाथ—सरकार द्वारा चलाया जाता है ।

प्रश्न संख्या ७३३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, राजा मानसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३४, ७३५ तथा ७३६

श्री अध्यक्ष—श्री भैरूँसिंह (१६)

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३७

१४ वर्ष से कम बच्चों में राजस्थान में जनवरी, १९५४ तक विद्या का प्रसार

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) The number of children below 14 years of age in Rajasthan according to the 1951 census.

(b) What is the number of children of the age of 14 and below attending a school in January, 1954 ?

(c) How many of them are receiving free education ?

(d) Has the Government drawn up a scheme for the compliance with Article 45 of the Constitution of India. If so, can it be placed on the table of the House ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(अ) सन् १९५१ की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार १४ वर्ष तक की आयु के बच्चे बीस लाख के करीब हैं । अब तक १४ वर्ष तक की आयु के ४ लाख लड़के शिक्षा पा रहे हैं । मिडिल स्कूलों तक पहुँचने वाले अधिकतर छात्र इस तरह के होते हैं कि जिनको मुफ्त की शिक्षा दी जाती है । लम्बा प्लान नहीं बनाया गया है, केवल शोर्ट प्लान ही बनाया है । ८०० स्कूल हर साल खोले जाते हैं और पाँच सौ स्कूलें अनएम्प्लोयमेंट को दूर करने के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की स्कीम के अनुसार खोले जाते हैं ।

Page No.9

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—कितने वर्षों में १४ वर्ष तक के कुल बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी ?

श्री भोलानाथ—लोंग टर्म प्लान नहीं बनाया गया है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या पर्सेन्टेज है।

श्री भोलानाथ—६० परसेन्ट है और इस प्लान में ११ वर्ष तक के ही बच्चे आते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोटाराम चौधरी।

प्रश्न संख्या ६३८

समदड़ी स्कूल में होस्टल के लिये कुछ रुपया दिये जाने की शासकीय स्वीकृति

श्री मोटाराम चौधरी—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या समदड़ी स्कूल तक होस्टल के लिये सहायता स्वरूप कुछ रुपये दिये जाने की मन्जूरी हुई थी ?

(ख) यदि हाँ, तो कितने रुपये और क्या उस रकम को देना शुरू कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या कोई रकम समदड़ी गर्ल्स स्कूल के लिये भी मन्जूर की गई थी ?

भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) हाँ, समदड़ी स्कूल के होस्टल के लिये सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है।

(ख) २३५ रुपया सालाना सहायता दी जा रही है।

(ग) इसका प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नहीं, कोई रकम समदड़ी गर्ल्स स्कूल के लिये मन्जूर नहीं की गई।

प्रश्न संख्या ७३६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री भैरूं सिंह।

[प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित]

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

Page No.10

प्रश्न संख्या ५४०

गोलरिन, तहसील फलौदी के नमक निर्माताओं के कलेक्टर की निषेध आज्ञाओं के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries and Commerce be pleased to answer :—

(a) Has the Government received any representation from the salt manufacturers of Gol Rin, Tehsil Phalodi, against the prohibitory orders of the of the Collector on salt manufacture ?

(b) Is it a fact that these salt producers had applied for areas for salt manufacture in blocks not exceeding 10 acres, sometime in 1951 ?

(c) Is it a fact that they were issued pattas by the Tehsildar Phalodi ?

(d) Is the Government aware that they have been producing salt for all these years since 1952 ?

(e) What were the reasons for this sudden prohibitory order issued by the Collector, Jodhpur ?

(f) Has the Government taken any action on their representation ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Yes.

(e) Prohibitory orders were issued due to receipt of a letter by the Industries Directorate from the General Manager, Rajputana Salt Sources Division, Sambhar Lake, in which he objected to the permissions granted by the State Government in the territorial limits of the old Jodhpur and Jaipur States, according to the treaties entered into by the Rajasthan Government with the Government of India.

(f) The matter is under correspondence with the Government of India.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पर्चे दिये जाते हैं ? इस प्रकार की ट्रीटीज़ का प्रश्न क्या सरकार के ध्यान में नहीं थी ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा मालूम पड़ता है कि डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ ने उस समय इसकी बारीकी में जाने की कोशिश नहीं की ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि किसी निश्चित मयाद के लिये ये पट्टे दिये जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--पट्टे देना केन्द्रीय सरकार के सूचनानुसार गलत था, चाहे वे निश्चित मयाद के लिये हों या अनिश्चित मयाद के लिये हों।

श्री हरिकृष्ण व्यास--केन्द्रीय सरकार की सूचनानुसार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की सूचनानुसार ?

श्री जयनारायण व्यास--पट्टे दिये गये थे। सरकार के एक अधिकारी ने और केन्द्रीय सरकार ने सरकार को कहा कि यह केन्द्रीय विषय है, प्रादेशिक विषय नहीं। उस समय जिस अधिकारी के कहने से पट्टे दिये गये थे वे खारिज कर दिये गये हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि उन ट्रीटीज़ में केवल सांभर के इलाके का ही जिक्र है और बाकी के इलाकों का उसमें जिक्र नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास--ये ट्रीटीज़ जयपुर और जोधपुर स्टेट के जरिये से हुई थीं और उनमें सब इलाका आ जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या उनमें बाकी के सॉल्ट प्रोड्यूसिंग इलाके का जिक्र नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास--इसके लिये मैं नोटिस चाहूँगा। ट्रीटीज़ को पढ़ने के बाद उत्तर दे सकता हूँ।

एक सदस्य--क्या ये ट्रीटीज़ अभी भी कायम हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--जो पुरानी स्टेटों ने ट्रीटीज़ की हैं वे ट्रीटीज़ सक्सेसर स्टेट ने कायम रखी है, जब तक कि वे बदल न दी जाँय।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या कानूनी जाँच करवाई है कि उनकी क्या वकत है ?

श्री जयनारायण व्यास--भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है। जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसमें दोनों सरकारों के विचारों में थोड़ी भिन्नता जरूर है और जब तक कि वह पत्र-व्यवहार अन्तिम निर्णय पर न पहुँच जाय जवाब नहीं दे सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार विचार करेगी कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न हो तब तक सॉल्ट तैयार करने के लिये इजाजत दी जाय ?

श्री जयनारायण व्यास--ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते। केन्द्रीय सरकार की जो आज्ञा है वही सर्वोपरी रहेगी।

Page No.12

प्रश्न संख्या ७४१

तहसील बड़ी सादड़ी (जिला चित्तौड़) की ग्राम पंचायत बोर्ड के अधीन मेहतर

श्री जयचन्द मोहिल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़गढ़ जिले के अन्तर्गत बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायत बोर्ड कितने मेहतरों से काम लेती है ?

(ख) काम करने वाले मेहतरों को फी व्यक्ति मासिक क्या दिया जाता था और अब क्या दिया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—साधारणतया पंचायतों में अलग-अलग मेहतर भरती नहीं किये जाते, क्योंकि इसके बारे में वहाँ की सारी हरिजन बस्ती को ऐतराज होता है। ऐसी हालत में गाँव की सफाई के लिये मासिक रकम मुकर्रर कर गाँव के सभी सफाई करने वाले हरिजन पटेलों को दे दी जाती है। वे आपस में हिस्सा कर बाँट लेते हैं और इस प्रकार आपस की रजामन्दी पर पंचायतें ठेका दे देती हैं। इस आधार पर ग्राम-पंचायत बड़ी सादड़ी ने ६०) रुपया मासिक में वहाँ के सभी मेहतरों को सफाई का ठेका दे रखा है जो हफ्ते में दो-तीन मर्तबा अपनी सहूलियत से ओसरेवार सफाई पर मुकर्रा रकम ले लेते हैं।

(ख) इसका उत्तर 'क' में आ चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस समय सफाई का का कार्य करने वाले कितने लोग हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल अलग से पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न के (क) भाग में यही सवाल है।

श्री रामकरण जोशी—उस जगह जितने मेहतर हैं वे सब सफाई के काम पर ओसरे से आते हैं और जो ६०) रुपया है उसके हिसाब से बाँट लेते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न यह है कि वहाँ कितने मेहतर काम करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी निश्चित संख्या तो मैं बता नहीं सकता, फिर भी मैं समझता हूँ अगर प्रश्न के उत्तर पर ध्यान दिया जाय तो यह सवाल पैदा नहीं होता।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या आप कृपा करके प्रश्न के उत्तर को रिपीट करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—(क) साधारणतया पंचायतों में अलग-अलग मेहतर भरती नहीं किये जाते; क्योंकि इसके बारे में वहाँ की सारी हरिजन बस्ती को ऐतराज होता है। ऐसी हालत में

Page No.13

[श्रीरामकरण जोशी]

गाँव की सफाई के लिए मासिक रकम मुकर्रर कर गाँव के सभी सफाई करने वाले हरिजन पटेलों को वह रकम दे दी जाती है। वे आपस में काम के आधार पर हिस्सा बाँट लेते हैं और इस प्रकार आपस की रजामन्दी पर पंचायतें ठेका दे देती हैं। इसी आधार पर ग्राम-पंचायत बड़ी सादड़ी ने ६०) रु० मासिक में वहाँ के सभी मेहतरों को सफाई का ठेका दे रखा है जो हफ्ते में २ बार अपनी सहूलियत से ओसरेवार सफाई कर मुकर्रा रकम ले लेते हैं।

(ख) इसका उत्तर (क) में आ चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उनकी तादाद कितनी है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्री को उनकी संख्या बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री रामकरण जोशी—जिस प्रकार का जवाब आया उसमें इसका उल्लेख नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रति मेहतर मासिक कितना हिस्सा पड़ता है ?

श्री अध्यक्ष—It does not relate to the main question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो वहाँ करीब १५० मेहतर काम करते हैं, उन सबको किस हिसाब से कितनी रकम प्रति व्यक्ति पड़ती है ?

श्री रामकरण जोशी—वह सारी रकम मेहतरों की पंचायत को मिल जाती है, वे आपस में बाँट लेते हैं। ठेका सबने ले रखा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो साठ रुपया १५० व्यक्तियों को दिया जाता है वह कहाँ तक उचित है ?

श्री रामकरण जोशी—१५० व्यक्तियों को काम भी कितने घण्टे करना पड़ता है ? प्रति व्यक्ति एक घण्टे से अधिक काम नहीं करता।

श्री जयचन्द मोहिल—क्या मन्त्रीजी को यह भी मालूम है कि कई व्यक्ति आठ-आठ घण्टा भी काम करते हैं ?

प्रश्न संख्या ७४२

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७४३

सन् १९५४ के मार्च में सीकर के कल्याण इण्टर कॉलेज में छात्रों की हड़ताल

श्री नारायण लाल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री नारायण लाल]

(क) सीकर के कल्याण इन्टर कॉलेज में गत मार्च, सन् १९५४ में वहाँ के छात्रों ने हड़ताल की थी ? अगर हाँ, तो उसका क्या कारण है ?

(ख) अब उन छात्रों को क्या शान्त कर दिया गया है ?

श्री भोलानाथ—(क) हाँ। श्री कल्याण इन्टर कॉलेज, सीकर में १७ व १८ फरवरी को आंशिक हड़ताल रही। इसका कारण यह था कि विद्यार्थियों को यह संदेह था कि उनके युनियन के चुनाव में बाहर से हस्तक्षेप किये जाने की शंका है।

(ख) हाँ। प्रिन्सिपल और जिलाधीश के आश्वासन देने पर कॉलेज में पूरी शान्ति स्थापित हो गई और अब किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।

प्रश्न संख्या ७४४

तिजारा हाई स्कूल (जि० अलवर) का समस्त कार्य-काल तथा उसके भवन का विस्तार

श्री घासीराम—(क) तिजारा हाई स्कूल, जि० अलवर में कितने साल से चालू है और इसमें कितने लड़के किस-किस जमात में पढ़ते हैं और कितने सेक्शन हैं ?

(ख) हाई स्कूल की बिल्डिंग क्या काफी है ? यदि नहीं, तो कितने कमरों की और आवश्यकता है ?

(ग) क्या सरकार इस हाई स्कूल की आवश्यकता को समझती हुई और कमरे बनवायेगी ?

श्री भोलानाथ—(क) तिजारा हाई स्कूल, जिला अलवर में सन् १९३४ से खुला हुआ है और कक्षाओं में छात्रों की संख्या निम्नलिखित है। उस समय इस हाई स्कूल में १० सेक्शन खुले हुए हैं।

छटी	ए.	२०
छठी	बी.	१८
सातवीं	—	३०
आठवीं	ए.	१७
आठवीं	बी	१६
नवीं	ए	३२
नवीं	बी	३२
दसवीं	ए	३०
दसवीं	बी	२७
दसवीं	सी	२९
	कुल	२५१

[श्री भोलानाथ]

(ख) छात्रों की संख्या को देखते हुए दो अधिकारों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

(ग) सरकार की नीति यह है कि स्कूल-भवन के निर्माण में ग्राम-निवासी भी उसमें सहायता दें। यदि ग्राम-निवासी इस भवन के लिये कुछ अधिक कमरे बनवाने में सहायता करें तो सरकार भी उसमें सहायता देने के प्रश्न पर आवश्यक विचार करेगी।

प्रश्न संख्या ७४५

पुराने मेवाड़ राज्य की सरकारी काटन फेक्ट्रियाँ

श्री तेजमल बापना—क्या व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) पुराने मेवाड़ राज्य की कितनी सरकारी कॉटन फेक्टरियाँ कहाँ-कहाँ है ?

(ख) गत तीन वर्षों में उनकी नेट आमदनी कितनी-कितनी रही ?

(ग) क्या यह सही है कि पुराने मेवाड़ राज्य की कॉटन फेक्टरियों को तीन लाख सालना नेट आमदनी देती है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि सालाना तीन लाख की नेट आमदनी देने वाली यह कॉटन फेक्ट्रियाँ किसी एक सेठ को बेचे जाने की चर्चा हो रही है और करीब-करीब तय सा हो गया है ?

(ङ) यदि यह सही है, तो कृपया बतावें कि किन फेक्ट्रियों की मशीनरी व जमीन की बाजार कीमत आज क्या है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—पुराने मेवाड़ राज्य में सरकारी पाँच कॉटन फेक्ट्रियाँ भीलवाड़ा, कपासन, गुलाबपुरा, चित्तौड़ और सादड़ी में हैं और फोर्मेर राजस्थान के निर्माण के वक्त गवर्नमेंट कॉटन फेक्ट्री शाहपुरा का भी विलीनीकरण हुआ।

(ख) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित आमदनी हुई—

आमदनी		खर्च	बचत
१९५०-५१.	१०,३२,५७६	६,४६,१९३	३,८३,३८३
१९५१-५२.	९,५२,५८०	५,७०,०९०	३,८२,४९०
१९५२-५३.	१०,०६,२००	५,९७,४४०	४,११,७६०

[श्री जयनारायण व्यास]

(ग) इसका जवाब भाग (ख) के उत्तर में अंकित है।

(घ) इन फेक्ट्रियों को बेचने की बात तय नहीं हुई है। चर्चाओं पर सरकार का नियन्त्रण नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इन चर्चाओं में सरकारी अधिकारी भी भाग ले रहे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—किसी अधिकारी ने इन चर्चाओं में भाग लिया हो, इसकी हमको सूचना नहीं।

श्री मानसिंह महार—क्या सूचना मिलने पर उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—एतराजात के लायक यदि चर्चाएँ हुई होंगी तो जरूर एक्शन लिया जा सकता है। किसी भी अधिकारी को अपनी-अपनी राय रखने का हक है और किसी को अपनी फेक्ट्री बेचने का हक है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह बातें किन-किन के बीच में चल रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—चर्चाएँ चल रही हैं, इसका हमको पता नहीं। लेकिन ऐसा जरूर जान पड़ता है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों में जरूर इसकी चर्चाएं चलने लगी हैं।

हरिकृष्ण व्यास—सरकार के विभागीय कागजों में इस सिलसिले में चर्चा चल रही हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी कोई चर्चा नहीं हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के विचार के अनुसार इसको बेचने का कोई इरादा नहीं।

श्री जयनारायण व्यास—इस समय कोई इरादा नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भविष्य में सरकार इस पर पुनर्विचार करने का इरादा करती है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर लाभ हो तो विचार कर सकती है।

श्री तेजमल बापना—ऑक्शन किया जायगा या टेन्डर मांगे जायेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी जब चर्चाएं ही नहीं, विचार ही नहीं तो ऑक्शन और टेन्डर माँगने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

प्रश्न संख्या ७५३

गुलाबपुरा तथा आसीन्द कोटन फेक्ट्रीज में जीने तथा उसमें कपास का आयात इत्यादि

श्री तेजमल बापना—क्या व्यवसाय मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) गुलाबपुरा कोटन फेक्ट्री में कितनी जीने लगी हुई हैं और इस वर्ष कितना कपास आया ? कितना कपास अब तक तुला व कितना बिका है ?

(ख) इसी प्रकार आसीन्द कोटन फेक्ट्री में, कितनी जीने हैं, वहाँ कितना कपास अब तक लुड गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि गुलाबपुरा कोटन फेक्ट्री कोयला नहीं होने से अक्सर बन्द रहती है और कोयला खरीदने के लिए डिपार्टमेंट से महीनों तक इजाजत नहीं दी जाती है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि कुम्भ के तीन महीने पहले ही रेलवे की ओर से बुकिंग बन्द रहने की सूचना मिल गई थी ?

(ङ) फिर भी उस पर ध्यान न देकर कोयलों का पर्याप्त स्टाक नहीं करने में किस की गफलत है और उसके लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है ?

(च) गत वर्ष कितनी गाँठे बन्धी व इस वर्ष कितनी बान्धने का अनुमान है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) गवर्नमेंट फेक्ट्री गुलाबपुरा में ८८ जीने लगी हुई हुई हैं। इस फेक्ट्री में इस वर्ष करीब ८०,००० मन कपास आया और ६५,००० मन लुढ़ चुका और १५,००० मन लुढ़ना बाकी है।

(ख) आसीन्द में २४ जीने लगी हुई हैं, वहाँ पर अब तक ८० हजार मन कपास लुढ़ गया है।

(ग) गुलाबपुरा गवर्नमेंट फेक्ट्री कोयले के अभाव में केवल ५ दिन तो (ए) जीन, २३ दिन (बी) जीन और प्रेस पाँच दिन बन्द रहा। कोयला खरीदने के लिये डिपार्टमेंट से इजाजत नहीं दिया जाना सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्टोर सामान खरीद करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है

[श्री जयनारायण व्यास]

जिसमें कलेक्टर, ट्रेज़री ऑफीसर, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज़ व ऑफीसर ओन स्पेशल ड्युटी स्टेट कोटन फेक्ट्रीज़ मेम्बर हैं । इस कमेटी को एक लाख रुपये तक का सामान खरीदने का अख्त्यार है ।

(घ) जनवरी-फरवरी में कुम्भ के मेले की वजह से कोयले का कष्ट रहता था, उस पर स्पेशल वेगन के प्रबन्ध के लिए कोल कमिश्नर (Coal-Commissioner) को लिखा गया था, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। कोल कन्ट्रोल कमोडिटी बेचने लाना जुर्म है और लकड़ी का बाजार में अभाव था; फिर भी जिस किसी भी प्रकार से लकड़ी या कोयला मिला उससे काम चलाया जा सका ।

(ङ) गत वर्ष गुलाबपुरा में १४,२५३ गाँठें बन्धीं और इस वर्ष ६,७३६ गाँठे बन्ध चुकी और १२,००० का अनुमान है ।

प्रश्न संख्या ७४७

तिजारा म्युनिसिपल कमेटी, जिला अलवर में नए बोर्ड का कार्य-काल

श्री घासीराम—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[क] तिजारा म्युनिसिपल कमेटी जिला अलवर में नये बोर्ड को कार्य करते हुए कितना अरसा हुआ है ?

[ख] इस नये बोर्ड के शासन-काल में कितने लालटेनों के डिब्बे और चिमनियाँ चोरी गये हैं और कौन-कौन सी तारीखों में गये हैं और कहाँ-कहाँ से ?

[ग] इन चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में की गई है या नहीं और पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) तिजारा म्यु० बोर्ड, २६ जुलाई, १९५३ से कार्य कर रहा है ।

(ख) चार डिब्बे व ६ चिमनियाँ, १७ अक्टूबर, १५ नवम्बर सन् १९५३, ६ फरवरी और १२ फरवरी, ५४ को चोरी गये हैं । ये निम्नलिखित स्थानों से चोरी हुए हैं :—

[श्री रामकरण जोशी]

(१) बोर्डिंग हाउस, (२) बाजार तिराहा, (३) कस्टम चबूतरी और (४) कुंजरवाड़ा।

(ग) इन चोरियों की रिपोर्ट पुलिस में की गई। पुलिस से माल बरामदगी की अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई।

प्रश्न संख्या ७४८

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स० माधोपुर में जागीरदारों से वसूली योग्य सेस व सहायता

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सवाई माधोपुर का बिल वसूली कितना सेस व सहायता जागीरदारों से लेना बाकी है ?

(ख) जागीरदारान ठि० ईसरदा व ठि० बरवाड़ा से सेस व सहायता की कितनी-कितनी रकम लेना बाकी है ?

(ग) इस सेस की वसूली न होने का क्या कारण है ?

(घ) पाँच हजार या इससे ज्यादा बकाया किन-किन ठिकानेदारों में है ?

(ङ) सरकार यह कुल बकाया वसूल जल्दी हो इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) बकाया सेस ६५,०००), बकाया सहायता १,६५,०००)।

(ख) ठि० ईसरदा बकाया सेस ८२३४), बकाया सहायता २,३६,७१), बरवाड़ा बकाया सेस ११,८००) बकाया सहायता २२,०००)।

(ग) वसूली न होने का एक कारण यह था कि ठिकानेदारों ने हाई कोर्ट से रिट प्राप्त कर कुछ समय के लिए जब्ती रुकवा दी थी। इसके पश्चात् उनके इस आवेदन पर जब्ती रुकवा दी गई क्योंकि इन सब विषयों पर कि बकाया किस प्रकार वसूल किया जाय, जहाँ पर मालगुजारी में मुआफी दे दी गई हो, वहाँ पर क्या किया जाय इत्यादि प्रश्नों पर विचार होना था। अब इन सब प्रश्नों पर विचार हो चुका है और बकाया सेस किश्तों में लिया जा रहा है।

[श्री रामकरण जोशी]

[घ] ५०००) से अधिक बकाया निम्न लिखित ठिकानेजात में है :—

[१] ठि० श्री गोविन्द देवजी

[२] ठि० श्री गल्ताजी।

[३] ठि० श्री चौथ का बरवाड़ा।

[४] ईसरदा

[५] सिवाड़

[६] श्री मानगढ़

[७] भगवतगढ़

[८] ठि० बपूई

[९] ठि० शहर

[१०] ठि० गुढ़ाचन्द्रजी

[११] ठि० सुरोठ

[१२] ठि० बरेनाला

[१३] ठि० धूला।

[१४] ठि० परबतसर

[१५] ठि० तालचड़ी।

[१६] ठि० बालेर।

[ङ] बकाया सैस के भुगतान के लिए किश्तें बाँध दी गई है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि जब जागीरदारों ने सैस वसूल कर ली जमींदारों से तो फिर उस अमानता रुपये के लिए किश्तें क्यों बाँधी गई?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, यह अमानता रुपया जहां लिया गया है और जिस जगह के लिए यह तय हुआ है वहां के लिए यह वसूल किया गया है, लेकिन उन्होंने भी जहां पर वसूली नहीं की है उन जगहों की सैस के लिए किश्तों के भुगतान का प्रबन्ध किया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह आप विश्वसनीय सूचना के आधार पर फरमा रहे हैं? वास्तव में क्या यह सही है कि वसूली उन्हीं रकमों की नहीं हुई है और जो वसूली नहीं हो पाई सैस के रूप में उन्हीं के लिए किश्तें की गई हैं?

श्री रामकरण जोशी—जी हां। मेरे पास जो सूचना है वह विश्वसनीय है और इसके विपरीत अगर आप कोई खबर दे सकते हैं कि किसानों से तो सैस की रकम ले ली गई है, पर वह

Page No.21

[श्री रामकरण जोशी]

सरकार के पास जमा नहीं करवाई गई है और उसके लिए किश्तें बांधी गई हैं तो सरकार इस विषय में अवश्य आवश्यक कार्यवाही करेगी।

प्रश्न संख्या ७४९

हाई स्कूल तिजारा में पढ़ाये जाने वाले विषय.

श्री घासीराम—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) हाई स्कूल तिजारा में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जा रहे हैं ?

(ख) कॉमर्स, साइन्स और सिविक्स को इस साल खोलने का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—(क) हाई स्कूल तिजारा (अलवर) में निम्नलिखित विषय पढ़ाये जा रहे हैं।

(१) हिन्दी।

(२) उर्दू।

(३) इंगलिश।

(४) संस्कृत।

(५) हिस्ट्री।

(६) मैथेमैटिक्स।

(७) ड्रॉइंग।

(ख) हाई स्कूल, तिजारा में इस वर्ष से केवल साइन्स विषय और खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, परन्तु यह युनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता दिये जाने पर निर्भर है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७५०

बेगूं सब डिविजन में वनस्पति घी के दायर हुए मामले

श्री सुगनचन्द जैन—क्या पृथक् राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री सुमनचन्द जैन]

बेगूं सब डिविजन में कितने मामले वनस्पति घी के दायर हुए हैं और कितने को सजा हुई है नामवार बतलाने की कृपा करें और कितने मामले पेन्डिग हैं ?

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मंत्री)--बेगूं सब डिविजन में वेजीटेबल घी के अनधिकृत आयात के ६ मुकद्दमे दायर हुए हैं। सूची निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	तारीख गिरफ्तारी माल इत्तला अव्वल	तारीख दायर ए. सी. आफिस	मुस्तगीस	मुलजिम	जुर्म	कार्यवाही विवरण
१	२	३	४	५	६	७
				सर्किल बेगूं		
(१)	२६।२।५३	२५।४।५३	ए. एस. एफ. पार्टी से	(१) श्री भंवर लाल सा० बेगूं (२) श्री जसवन्तलाल सा० बेगूँ	बेजीटेबल घी पेसार करना	वास्ते चालान पुलिस में भेजने हेतु इन्सपेक्टर सर्किल पास भेजा गया।
(२)	२७।११।५३	२६।३।५४	सरकार	नाम नहीं मालूम	बेजीटेबल घृत पीपा	घृत जेर बहस जब्त किया जाकर इलाका गैर बिकवाया।
(३)	२।१२।५३		,,	श्री सोराम वल्द रामचन्द्र भील सा० बोर बावड़ी, रामा तेली सा० रायता	घृत वेजी० पीपा ७	इन्सपेक्टर सर्किल पास जेर कार्यवाही है।
(४)	२०।२।५४		,,	नाम नहीं मालूम	वेजी० घृत पीपा २	इन्सपेक्टर सर्किल के पास जेर कार्यवाही है।

[श्री भोलानाथ]

क्रम संख्या	तारीख गिरफ्तारी माल इत्तला अव्वल	तारीख दायर ए. सी. आफिस	मुस्तगीस	मुलजिम	जुर्म	कार्यवाही विवरण
१	२	३	४	५	६	७
(५)	२०।२।५४		पार्टी से सरकार	(१) हजारी वल्द कालू ब्राह्मण	वेजी० घृत पीपा ३ आयात करना	इन्सपेक्टर सर्किल पास जेर कार्यवाही है।
				(२) हीरा वल्द भूरा तेली		,,
				(३) देवा गूजर नं० ३ सा० सामरा खुर्द		ये तीनों इस जुर्म में शामिल हैं।

(सर्किल भैंसरोड़ गढ़)

(१)	१२।६।५३		पटवारी बोराव से सर्किल	नाम नहीं मालूम	वेजी० घृत पीपा २	इन्सपेक्टर सर्किल पास जेर कार्यवाही है।

नीचे लिखे मुकद्दमे सर्किल इन्सपेक्टर के पास जेर तफतीश होने के कारण पेन्डिग हैं :

		अपराध
(१)	राज्य बनाम शिवराम वल्द रामचन्द्र भील सा० बोर बावड़ी रामा तेली सा० रायला	सात पीपा वेजीटेबल घी आयात करना
(२)	राज्य बनाम मुलजिम नामालूम	२ पीपा वेजीटेबल घी आयात करना
(३)	राज्य बनाम हजारी वल्द कालू ब्राह्मण हीरा वल्द भूरा तेली, देवा गूजर सा० सेमरा खुर्द	तीन पीपा वेजीटेबल घी आयात करमा
(४)	राज्य बनाम मुलजिम नामालूम	दो पीपा वेजीटेबल घी आयात करना

श्री हरिकृष्ण व्यास—ये हजारीलालजी कौन से हैं साहब ?

(सदन में हंसी)

श्री सुगनचन्द जैन—नाम नहीं मालूम होने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—माल छोड़कर भाग जाते हैं, इसलिए किसका माल है यह मालूम नहीं होता।

श्री रोशनलाल शर्मा—अब तक कितने लोगों को सजा हो चुकी है ?

श्री भोलानाथ—अभी मैंने बताया कि कुछ केस चल रहे हैं और वे जेर तजवीज हैं और उन पर अदालती कार्यवाही की जावेगी। इस सिलसिले में जिनको पकड़ा है उन्हें जेल भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७५१

भूतपूर्व धौलपुर राज्य के महाराज राना में वसूल होने योग्य लगभग ६० लाख रुपया

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व धौलपुर स्टेट के महाराज राना के जुम्मे करीब साठ लाख रुपया वसूल होने योग्य हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और क्या की जा रही है ?

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त रुपये भूतपूर्व महाराज राना ने रियासत के खजाने से जनता के हितार्थ कार्य करने के हेतु निकाले थे और अब तक उक्त कार्य में खर्च नहीं किये ?

(घ) क्या सरकार तत्परता के साथ इस रकम को जनता के हितार्थ वसूल करके जनता के हित में खर्च करने को तैयार है ?

(ङ) क्या इस रकम को वापस न करने की वजह से भूतपूर्व महाराज राना की प्राइवेट प्रोपरटी का मामला अब तक तय नहीं हुआ, किन्तु अब तय होने वाला है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) राजस्थान सरकार का ऐसा ही मत है।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(ग) वर्तमान परिस्थितियां में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है।

(घ) इस विषय में हमने अपने विचारों से भारत सरकार को अवगत करा दिया है।

(ङ) हां, यह भी एक कारण था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस सम्बन्ध में प्रोसीक्यूशन लॉन्च करने का विचार कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—जो प्रश्न हमारी सरकार और भारत सरकार के बीच में विचाराधीन है उसमें प्रोसीक्यूशन लॉन्च करने का प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब एक कारण से रुपया खजाने से निकाला गया, पर बाद में उसके लिए खर्च नहीं किया गया तो इस आधार पर सरकार प्रोसीक्यूशन लॉन्च करने का विचार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सरकार का मत है या नहीं, इसके बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भारत सरकार से जो पत्र-व्यवहार चल रहा है उसके बाद में अगर इस परिणाम पर पहुँचे तो इस पर सोचा जा सकता है, नहीं तो अभी से ऐसा सोचना फार फेचेड (far-fetched) खयाल करना होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो, भारत सरकार का इससे विपरीत मत है, ऐसा समझा जावे ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसा आप समझ सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। जब कि पत्र-व्यवहार हो रहा है और यह पत्र-व्यवहार किस प्रकार का हो रहा है, कम से कम मैं यह बताने को तैयारी में नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ७५२

हुंडार कस्बे में वहां के निवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.26

[श्री श्रीदास गोयल]

(क) खंडार कस्बे में वहां के निवासियों के लिये आजकल व ग्रीष्मकाल में पानी पीने की क्या व्यवस्था है ?

(ख) क्या इस वर्ष पानी की बहुत कमी हो गई है जिससे जनता परेशान है ?

(ग) सरकार, लोगों को पीने का पानी मिल सके, इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जो इन्तजाम पहले से चला आया है, वही है।

(ख) इस वर्ष वर्षा की कमी से पानी में कमी है।

(ग) १६५४-५५ में कस्बा खण्डार में जल की व्यवस्था ठीक करने के लिए ११,६००) रुपये तजवीज किये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस वर्ष यह सही स्थिति है कि चार-चार मीलों से बैल-गाड़ियों के द्वारा चार-पांच हजार की आबादी के लिए पानी लाने की एक ही कुए से व्यवस्था वे लोग कर रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इस दिक्कत को देखकर ही इस वर्ष यह सहायता की रकम देनी तय की गई है।

श्री श्रीदास गोयल—मैं यह कहना चाहता था कि यह महीना चल रहा है मई का और अगला महीना है जून का। इन भर गरमी के दिनों में हो रही दिक्कत को देखते हुए कोई इमीजिएट रिलीफ देने के विषय में क्या सरकार कोई तजवीज सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी—आप ही कोई तजवीज करें, तो इसके बारे में कोई विचार किया जावेगा।

प्रश्न संख्या ७५३

उदयपुर डिवीजन में पंचायतों के निर्णय और पंचायत-नियमों का निर्माण।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer :—

(a) Is the Government aware that hundreds of decisions are daily being given by the various Panchayats in the Udaipur Division ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(b) Is it a fact that due to non-constitution of Tehsil Panchayats all ways of appeal against the decisions of the Panchayats are closed ?

(c) Will the Government state why Rules under the Panchayat Act have not been published so far ?

(d) Is the Government aware that delay in publication of rules is causing grave inconvenience to the village people ?

(e) When does the Government intend to publish such rules ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(अ) हां।

(ब) इनकी अपीलें चीफ पंचायत ऑफिसर ले रहे हैं और ज्यों ही तहसील पंचायतों का निर्माण होगा ये अपीलें सम्बन्धित तहसील पंचायतों के पास भेज दी जावेंगी।

(स) ता० १५ मई के गजट में सम्बन्धित नियम सरकार ने प्रकाशित कर दिये हैं।

(द) हां।

(ई) बहुत शीघ्र।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह पंचायत ऑफिसर उन अपीलों का निर्णय भी करते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या निर्णय के इन्तजार में अगर महीनों से अपीलें पड़ी हुई हैं तो उससे जनता को असुविधा नहीं होती ?

श्री रामकरण जोशी—जो बहुत बुरी स्थिति है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो असुविधा दूर हो सके इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने निवेदन किया है कि १५ मई को उसके नियम प्रकाशित हो चुके हैं, जिनके अनुसार तहसील पंचायतों का चुनाव हो जायगा और वह अपीलें उनके सुपुर्द कर दी जायंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस सिलसिले में यह बताने की कृपा करेगी कि इतनी देरी के जिम्मेवार कौन हैं ?

श्री रामकरण जोशी--वह प्रोसीजर की जिम्मेदारी है, जिसमें से होकर हम लोगों को चलना पड़ता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार ऐसे नामाकूल प्रोसीजर को बदलने के लिए विचार करती है?

श्री रामकरण जोशी--हमारी सरकार उनको नामाकूल नहीं मानती है। प्रोसीजर बदलना है और किसी नियम को प्रकाशित होने से पहले उनकी स्क्रूटिनी के लिए लॉ डिपार्टमेंट में जाना जरूरी है। उसमें देरी और समय जरूर लगता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि लॉ डिपार्टमेंट में जितना समय लगा उससे कहीं अधिक समय उस विभाग में लगा जिसका इस प्रश्न से ताल्लुक है?

श्री रामकरण जोशी--इस तरह की जांच करने की जरूरत नहीं आई है। आप चाहें तो दूसरा सवाल पूछ सकते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इन तहसील पंचायतों का निर्माण कितने समय में हो जायगा?

श्री रामकरण जोशी--मैं समझता हूँ कि मैंने जवाब दे दिया है।

प्रश्न संख्या ७५४

श्री अध्यक्ष--श्रीमती यशोदा देवी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५५

सन् १९५२ में बी० टी० सी० अध्यापकों का उचित वेतन तथा तरक्की देने सम्बन्धी आदेश

श्री श्रीदास गोयल--क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) क्या सन् १९५२ में सरकार द्वारा बी० टी० सी० अध्यापकों को उचित वेतन व तरक्की देने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया गया था?

(ख) यदि हां, तो क्या?

(ग) इस आदेश के अन्तर्गत कितने अध्यापकों को लाभ पहुँचाया गया?

(घ) यदि अभी तक उसे कार्यान्वित नहीं किया गया तो क्यों नहीं?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ङ) क्या यह सही है कि बहुत से अध्यापक इस आदेश का लाभ प्राप्त किये बिना रिटायर भी हो गये हैं ?

(च) सरकार अब कब तक उस आदेश को कार्यान्वित कर देगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री) —(क) हां । सरकार द्वारा उनको ट्रेन्ड मिडिल का ग्रेड देने का आदेश जारी कर दिया गया है ।

(ख) बी० टी० सी० अध्यापक जो २ साल की ट्रेनिंग पा चुके हैं उनको ४५-२-५५ ई० बी० २-६५ की ट्रेन्ड ग्रेड में फिक्स करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं और उसके साथ-साथ ५५) रु० की एफीशियेन्सी बार (efficiency bar) को भी पार करने का हुक्म दे दिया गया है । इससे एक साल की ट्रेनिंग पाये हुए अध्यापक ५५) रु० तक रोक दिये जावेंगे और दो साल की ट्रेनिंग वाले अध्यापक बिना किसी रोकथाम के ६५) रु० तक पहुँच जावेंगे ।

(ग) समस्त बी० टी० सी० अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड में फिक्स किया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ङ) यदि कुछ अध्यापक इस आदेश के जारी होने से पहिले रिटायर हो चुके थे उन्हें भी इस आदेश का जब तक वह सरकारी नौकरी में रहे लाभ प्राप्त होगा ।

(च) आदेश पहले से ही कार्यान्वित किया जा चुका है ।

श्री श्रीदास गोयल—राजस्थान के निर्माण के पहले ही से बी० टी० सी० थे और पुरानी स्टेटों में कम ग्रेड में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी वह ऑर्डर लागू होगा ?

श्री भोलानाथ—हां, अवश्य होगा । फिक्सेशन के माने यही हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—मैं माननीय मन्त्रीजी से दुबारा दर्याफ्त करने की जुरंत करता हूँ कि वास्तव में वे अध्यापक जो राजस्थान के निर्माण के पहले ही बी० टी० सी० थे उनके लिए ग्रेड जो ४५ तक की है वह अपने आपको उसमें निभाये हुए चले आ रहे हैं ।

श्री भोलानाथ—ऐसे पर्टीक्युलर केसेज नोटिस में आने चाहिएं, सबको जनरल में नहीं कहें ।

श्री श्रीदास गोयल—भूतपूर्व जयपुर राज्य में जितने पहले के इस प्रकार के टीचर्स हैं जिनकी २५ साल की सरविस है, २० साल की सरविस है, बी० टी० सी० हैं, उनको वह ग्रेड अभी तक नहीं मिल रहा है ।

श्री भोलानाथ—यह तो मैं नहीं जानता। सबको तो ऐसा नहीं है। यह गलत बात है, मैं नहीं मानता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—अगर यह सही हो तो उसकी दुरुस्ती होगी क्या ?

श्री भोलानाथ--अवश्य दुरुस्ती होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर मन्त्रीजी का फरमाने के लिए कोई विशेष तरीका हो तो फरमायें।

श्री अध्यक्ष—श्री कंवरलाल जेलिया।

प्रश्न संख्या ७५६

कोटा शहर में नये सिनेमा खोलने की अनुमति

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या यह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा शहर में नये सिनेमा खोलने के लिये राजस्थान सरकार के पास गत २-३ वर्षों से अब तक कितने ही आवेदन-पत्र आये हैं मगर किसी एक को भी सिनेमा खोलने की अनुमति नहीं मिली है ?

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य, उद्योग तथा व्यवसाय मन्त्री)—कोटा के कलेक्टर के कार्यालय में नये सिनेमा हाउस बनाने के लिए दो प्रार्थना-पत्र आये थे। एक प्रार्थी तो थे श्री मदनलाल और दूसरे प्रार्थी थे श्री सत्यनारायण टोडी, जिनसे नये सिनेमेटोग्राफ एक्ट, १९५१ के अनुसार कार्य करने को कहा गया है। सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में भी ३ प्रार्थना-पत्र स्थान के चुनाव के लिये विचाराधीन हैं। इसके लिये स्थान चुन लिया गया है जो छोटा तालाब में है और नये सिनेमेटोग्राफ रूल्स के अनुसार नवीन सिनेमा हाउस चालू करने के लिए कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री वेदपाल त्यागी--क्या यह सच है कि मि० सांघवी जो कि ब्रज टॉकीज़ चला रहे हैं उनको दूसरा सिनेमा खोलने की इजाजत दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—Not clear.

श्री वेदपाल त्यागी—मि० सांघवी जो कि अभी ब्रज टॉकीज चला रहे हैं उनको दूसरा सिनेमा हाउस खोलने की इजाजत दी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका मुझे पता नहीं है। एक सिनेमा हाउस कौन चला रहे हैं। पाँच आवेदन-पत्र आये थे उन पर विचार हो रहा है। कौन सिनेमा चला रहा है, वह कितने भी

[श्री जयनारायण व्यास]

खोल सकता है अपनी स्थिति के अनुसार। उसको इजाजत दी जा सकती है। अगर वह माँगता है तो उसको और दूसरा माँगता है तो दूसरे को भी (इजाजत) दी जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार द्वारा इस काम के लिए कुछ जमीन उनको नहीं दी गई है?

श्री जयनारायण व्यास--इम्प्रूमेंट ट्रस्ट ने जो जमीन नियत की है उसका पता दे चुका हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किस भाव में?

श्री जयनारायण व्यास--इसके लिए नये प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री कँवरलाल जेलिया—एक सवाल और है। इन चार आवेदन-पत्रों पर स्वायत्त शासन विभाग ने विचार नहीं कर उसी पार्टी को दिया है जिसका एक सिनेमा पहले से ही है।

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से अगर जरूरत हो तो पूछ लें।

श्री कँवरलाल जेलिया—जो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि "स्वीकृति दी जा सकती है" तो फिर कैसे उसी पार्टी को इजाजत दी गई जिनके मौजूदा सिनेमा है।

श्री अध्यक्ष—Order!

प्रश्न संख्या ७५७

श्री अध्यक्ष—श्री रघुराजसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५८

श्री अध्यक्ष—श्री रामरतन टिक्कीवाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७५९

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६०

समान व अच्छी योग्यता के अध्यापकों को तरक्की न दी जाकर नये अध्यापकों की नियुक्ति

श्री श्रीदास गोयल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि समान या अच्छी क्वालीफिकेशन के अध्यापकों के सर्विस में होते हुए भी सरकार द्वारा ऊँचे पदों पर इन लोगों की अवहेलना करके नये उम्मीदवारों को स्थान दिया जाता है ?

(ख) क्या सरकार सर्विस में जो अध्यापक हैं उन्हें ऊँचे पदों पर योग्यता अनुसार मौका देगी ?

(ग) क्या सरकार इस ओर व्यवहारिक कदम उठाने की दृष्टि से किसी कमेटी का निर्माण करेगी व आदेश जारी करेगी ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) यह सही नहीं है।

(ख) योग्यता और आवश्यकतानुसार पुराने आदमियों को भी उच्च पद दिये जाते रहे हैं, अवहेलना नहीं की जा सकती है।

(ग) प्रमोशन रूल्स बनाये जा रहे हैं।

प्रश्न संख्या ७६१

चित्तौड़ जिले में इस वर्ष प्राथमिक, माध्यमिक पाठशालाएँ एवं हाई स्कूल खोले जाना

श्री सुगनचन्द जैन—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तौड़ जिले में इस साल कहाँ-कहाँ पर पाठशालाएँ; प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला एवं हाई स्कूलें खोली गईं ? गाँव वार अलग-अलग बतलाने की कृपा करें ?

(ख) जो प्राथमिक पाठशाला चालू की हैं क्या उनके अध्यापकों की तनख्वाह चुका दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) चित्तौड़ जिले में इस वर्ष १५ प्राथमिक व २ माध्यमिक पाठशालाएँ खोली गई हैं जिसकी सूची संलग्न है। इस वर्ष चित्तौड़ जिले में किसी भी मिडिल स्कूल को हाई स्कूल नहीं बनाया गया।

(ख) इन प्राथमिक पाठशालाओं में नियुक्त होने वाले समस्त अध्यापकों को वेतन आदि का चुकारा कर दिया गया है।

Page No.33

श्री सुगनचन्द जैन—ये प्राथमिक पाठशालाएँ कहाँ-कहाँ हैं ?

श्री अध्यक्ष—पूरा उत्तर तो सुन लीजिये।

श्री भोलानाथ—यहाँ प्राथमिक पाठशालाएँ खोली गई हैं। नेटावल, रोलनहेडा, अम्बीरवा, गडौला, मडुरा, तलाव, ग्यासपुर, बडवाल, पीपलवास, नहारगढ़, खोडिया, खरडेला, खारखन्डा, टुन्डिया, खटीदुरा, बामनिया।

जहाँ माध्यमिक पाठशालाएँ खोली गई हैं :

१. मैंसरोडगढ़, २. रवा।

श्री सुगनचन्द जैन—यह जो प्राथमिक पाठशालाएँ खोली गई हैं तो उनके टीचर्स का वेतन उनको मिल गया है या नहीं ?

श्री भोलानाथ—मिल गया है।

श्री रोशनलाल—ये पाठशालाएँ ग्राम पंचायतें चला रही हैं या सरकार चला रही है ? ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली पाठशालाओं की लिस्ट बता दीजिये।

श्री भोलानाथ—ग्राम पंचायत वाले बतलायेंगे।

श्री रोशनलाल—ग्राम पंचायतों के कितने स्कूल हैं जिनको सरकारी सहायता मिलती है ?

श्री भोलानाथ—अगर उन्होंने नियमानुसार सहायता के लिए लिखा होगा तो सहायता पहुँचाई गई होगी।

श्री रोशनलाल—वे कौन-कौन से स्कूल हैं ?

श्री भोलानाथ—मैंने लिस्ट पढ़ दी है, आप सुन लेते।

श्री रोशनलाल—आपने जो लिस्ट पढ़ी है उनमें कई जगह स्कूल ग्राम पंचायतों द्वारा चलाये जा रहे हैं और जिनको वेतन नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि मिल रहा है, तो ऐसे कौन-कौन से स्कूल हैं जो ग्राम पंचायतों द्वारा चलाये जा रहे हैं और कौन से स्कूल सरकार द्वारा ?

श्री भोलानाथ—मेरे पास जो सूची है उन्हें वेतन दे दिए गए हैं।

प्रश्न संख्या ७६२

श्री अध्यक्ष—श्री लालूराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूँ।

प्रश्न संख्या ७६३

श्री अध्यक्ष—श्री छीतरसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६४

श्री अध्यक्ष—श्री लालूराम।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७६५

प्रिन्सिपल, जसवन्त कॉलेज, श्री अरोड़ा का औषधालय में भरती होने पर भी अवकाश नहीं लेना

श्री कानसिंह—Will the Education Minister please state :—

(a) Is the Education Minister aware that Dr S. D. Arora, Principal, Jaswant College, Jodhpur, was in the Mahatma Gandhi Hospital from 16th March, 1953, for a period of about three months as an indoor patient ?

(b) Is it a fact that he did not apply for leave and drew full salary for this period ? If so, what action has the Government taken against him for such illegal practice.

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(a) Yes.

(b) Yes. Classes in Jaswant College were closed for preparation leave or for final examinations on or before 14. 3. 53. There was no teaching work for Dr. Arora to do thereafter. He continued to do office work from the Hospital and came to College whenever required for supervising the arrangements for Examinations and attending staff Meetings on 1. 5. 53 when the college closed for summer vacation. Dr. Arora did not, therefore, find it necessry to take leave and has not been guilty of any illegal act. He has been asked to take leave for this period.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The reply of the Hon'ble Minister is not very clear. Did the college remain closed for 3 months, I would like to know ?

कृपा करके यह बतलाइये कि क्या यह सही बात है कि वे ३ महीनों तक अस्पताल में थे ?

श्री भोलानाथ--जी हाँ। मैंने कहा है कि वे अस्पताल में थे।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह--वे अस्पताल में थे और छुट्टी नहीं ली थी, तो क्या कॉलेज ३ महीनों के लिये बन्द रहता है?

श्री भोलानाथ--उस वक्त उन्होंने लीव नहीं ली थी और काम पर आते रहते थे। उनको गलतफहमी हो गई थी कि काम पर आते रहने से लीव नहीं लेनी पड़ेगी।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह--वे कॉलेज में कैसे काम करने आते थे जब कि वे इन्डोर पेशेन्ट थे?

श्री भोलानाथ--टीचिंग का काम नहीं करते थे सुपरविज़न करते थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या ओफिस में जाकर ओफिस सम्बन्धी कार्यवाही करना प्रिन्सिपल की ड्यूटी में नहीं है?

श्री भोलानाथ--फिर से फरमाइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या ओफिस में जाकर ओफिस-सम्बन्धी कार्यवाही करना प्रिन्सिपल की ड्यूटी में शुमार नहीं है?

श्री भोलानाथ--ओफिस में जाते ही इसलिये हैं कि वहाँ जाकर काम करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकारी कायदे के मुताबिक ओफिस में जाकर ओफिस-सम्बन्धी कार्यवाही करना किसी प्रिन्सिपल की ड्यूटी में शामिल नहीं है?

श्री भोलानाथ--जरूर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो फिर बगैर ओफिस गये ड्युटी मान लेना अनुचित हुआ या नहीं?

श्री भोलानाथ--इस बात का निर्णय दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जैसा कि पहले कहा गया था कि उसे ड्युटी नहीं माना गया तो इस गलती के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया?

श्री भोलानाथ--सरकार ने उनको छुट्टी लेने का हुक्म दिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इसके अलावा और कोई सजा देने का निर्णय किया गया या नहीं?

श्री भोलानाथ--उन्होंने वहाँ आकर सुपर्विजन का कार्य किया, उसके लिये सरकार उन्हें धन्यवाद देना चाहती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन्होंने जो कार्य किया है क्या सरकार के मुफीद नहीं होता ?

श्री भोलानाथ—नहीं। तभी तो छुट्टी लेने को कहा गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनको जो तनख्वाह मिल रही है वह कितने घंटे काम करने के लिये मिल रही है ?

श्री भोलानाथ—ऑफिस अवर्स सब के लिये प्रेसक्राइब्ड है और समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। गर्मियों में समय कुछ होता है और जाड़े में और कुछ, यह आप देख सकते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—उन तीन महीनों में जितने घंटे प्रेस्क्राइब्ड थे, तो क्या उतने घंटों तक उन्होंने काम किया ?

श्री भोलानाथ—सरकार ने यह नहीं माना, तभी तो उनसे छुट्टी लेने को कहा गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जब यह नहीं माना है तो उसके लिये क्या सजा मिलेगी ?

श्री भोलानाथ—छुट्टी लेने के लिये कहना सजा ही तो मिल रही है, धन्यवाद नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष—The Member who has tabled the question will have a prior right.

श्री कानसिंह—जब प्रिन्सिपल महोदय ने उस समय छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी और अब दी है, तो क्या सरकार ने उस दरख्वास्त के माफिक उनकी छुट्टी मंजूर करने के लिये यह माँगा है या उनके खिलाफ और भी कोई एक्शन लिया जायगा ?

श्री भोलानाथ—उनका ऑफिस में आना, काम करना, मेहनत करना, एग्जामिनेशन्स को गाइड करना आदि यह सब उनका बेकार गया और छुट्टी की दरख्वास्त देनी पड़ी, यह सजा नहीं तो और क्या है ?

श्री मोहब्बतसिंह—आयन्दा कोई ऐसा नहीं करे, इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री भोलानाथ—आयन्दा ऐसा कोई नहीं करेगा जिससे जबर्दस्ती छुट्टी लेनी पड़े।

जसवन्त कालेज जोधपुर में ओपन शेल्फ सिस्टम से लाइब्रेरी की पुस्तकें खोना

प्रश्न संख्या ७६६

श्री कानसिंह—M. L. A. Will the Education Minister please state:

How many Library Books and of what value have been lost as the result of introduction of the Open Shelf System in the Jaswant College, Jodhpur ?

श्री भोलानाथ—Number of Books lost, ... 46.

Cost. ... ... Rs. 248-8-0

The system was introduced on the request of the students and the amount has been made good by their provision and the books will be replaced without any loss to the Government. The system was introduced in July, 1953.

श्री सन्धु को सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री गुरुदयालसिंह सन्धु ने दिनांक १८ मई, १९५४ से सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा मांगी है; क्या इसके लिए सदन की अनुमति है ?

('नहीं' की आवाज)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उन्होंने अनुपस्थित रहने का कोई कारण बतलाया है ?

श्री अध्यक्ष—It is not necessary to state the reason. But if you like I can read his telegram.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Just I wanted to know whether he has stated any reason.

श्री अध्यक्ष—He has stated his weakness due to hunger-strike. This is very unprecedented. Should I call for a Division ?

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—We will explain why.

श्री अध्यक्ष—Order ! I will just read out the telegram which I have received because there is nothing secret between the House and myself : "After release wanted to attend session. Authorities forcibly removed me Ganganager. Being on hunger-strike unable to take return journey to Jaipur. Please excuse absence and take action against authorities." This was on 17th. Before I put the question if any Hon'ble Member would like to say...

श्री वेदपाल त्यागी—मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या जो टेलीग्राम आपके पास आया है उसको प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है; क्योंकि उसमें लिखा है कि "फोर्सिबली रिमूव्ड ("forcibly removed") He was forcibly removed from Bikaner to Ganganagar.

श्री अध्यक्ष—You enquire about it. I have already ordered. we are concerned only with the leave portion.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, सचमुच यह पहला ही मौका है जब कि इस प्रकार की लीव के लिए हम लोग मना कर रहे हैं और उसका कारण है। मैं उन सारे डिटेल्स में तो अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए कहने का दूसरा अवसर शायद मिलेगा। यह हंगर स्ट्राइक क्यों किया, जसटीफाइड था या नहीं, इस पर इस समय में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो तार पढ़कर सुनाया है उसके लिए थोड़ा बहुत कहूँगा। श्री गुरुदयालसिंह को कानून से १६ तारीख को छोड़ना चाहिये था। लेकिन यह ठीक समझा गया कि उनको घर से लाया गया था इसलिए उनको घर ही पर पहुँचा दिया जाय और इसमें जबर्दस्ती ले जाने का कोई प्रश्न नहीं था। वे यहां बैठक में आना चाहते तो उनके पास काफी समय था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यहाँ इसका क्या सम्बन्ध है? यह जुदा प्रश्न है।

श्री वेदपाल त्यागी—बगैर कारण के घर पहुँचाया जाय, यह समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—I want to make it clear that if the House refuses leave to a Member, then the provisions of the Constitution regarding the abnesce of a Member will come into force. That is the implication.

कु० श्री जसवन्तसिंह—That is true, Sir. But the question at issue is as to whether there is any justification for not giving the permission. We are very anxious to hear the Hon'ble Member; because we have already studied the question according to the Constitution.

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि लीव क्यों नहीं दी जाय? लीव के लिए दो चीजें हैं, एक तो यह कि आने की स्थिति में हैं या नहीं, जैसा कि तार में लिखा है कि आने की स्थिति में नहीं है।

दूसरी यह है कि इसके लिये.........

श्री तनसिंह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं श्रीमान् का ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम ४४ के उपनियम (३) की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें लिखा है कि इस प्रकार के प्रश्न पर वाद-विवाद करने की आवश्यकता नहीं है और न वाद-विवाद किया जाय।

श्री अध्यक्ष—He draws my attention to sub-rule (3) of Rule 44 which says that, "No discussion shall take place on any question before the House under this rule."

श्री टीकाराम पालीवाल—This is all right. I am not entering into any discussion.

Page No.39

श्री अध्यक्ष—This point of order is upheld. I rule that there should be no discussion. So, I put the question. It is for the House to give leave or not and the implications which might follow will come into operation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आज तक तो सबको लीव दी जाती रही है...

श्री अध्यक्ष—No, no. The House is the master in such cases.

क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री गुरुदयालसिंह सन्धु को अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

जो पक्ष में हों, वे 'हां' कहें। (विपक्ष की ओर से 'हां' की ध्वनि)

जो विरोध में हों वे 'ना' कहें। (सरकारी पक्ष की ओर से 'नो' की विपक्ष से अधिक ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—'ना' पक्ष जीता।

कु० श्री जसवन्तसिंह—'Ayes' have it, Sir.

'हां' पक्ष के सदस्य—'Noes' ho have we it, Sir.

श्री अध्यक्ष—There is no question. If you want division, I order for a

('Yes, Yes' विरोधी पक्ष की ओर से)

(मत-विभाजन घण्टी बजना तथा सदस्यों का सदन में खड़े होकर परस्पर बातचीत करना)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर, क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री गुरुदयालसिंह को अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(विपक्ष की ओर से अधिक कंठों से 'हां' की आवाज और सरकारी पक्ष की ओर से क्षीण कन्ठों से 'नो' की आवाज)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यद्यपि 'ना' पक्ष जीत सकता है, यद्यपि यह छुट्टी जो दी जा रही है वह सरकार के विरोध के काम में आ सकती है, फिर भी सरकारी पक्ष उदारता पूर्वक इसके लिए अनुमति दे रहा है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Speaker, Sir...

श्री अध्यक्ष—I do not want any discussion. You accept this liberalism.

श्री हरिचरण व्यास—We accept the leave, not the liberalism.

श्री टीकाराम पालीवाल—Anything you like.

कु० श्री जसवन्तसिंह—It is not liberalism.

श्री अध्यक्ष—So I declare that the leave is granted.

(विराम)

The leave is granted.

श्री सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखे गये पत्र (स्वीकृति प्राप्त विधेयक)

श्री सचिव (श्री मनसाराम पुरोहित)–Sir, I lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Assembly and have been assented to either by the president or by His Highness the Rajpramukh.

Bill assented to by the President

The Rajathan Sale of Motor Spirit Taxation Bill, 1953.

Bills assented to by His Highness the Rajpramukh

The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1954,

The Rajasthan Appropriation (No. 2) Bill, 1954.

The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill, 1954.

The Rajasthan Twon Municipalities (Amendment) Bill, 1954.

The Munieipal Taxes Validation Bill, 1954.

The Rajasthan Proteotion of Tenants (Amendment) Bill, 1954.

The Rajasthan Agricultural Rents (Control) Bill, 1954.

The Rajasthan Rent-rates Determination and Validation Bill, 1954

The Rajasthan Official Language (Amendment) Bill, 1954.

श्री अध्यक्ष—Next. Shri Jai Narain Vyas.

श्री मुख्य मन्त्री द्वारा सदन की मेज पर रखा गया पत्र (जन सेवा आयोग के प्रतिवेदन १९५१-५२ की प्रस्तुति)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--Sir, I lay as required under Clause (2) of Article 323 of the Constitution of India, a copy of the Report of the Public Service Commission .....

कु० श्री जसवन्तसिंह--Hear hear...

श्री जयनारायण व्यास--(Continued) for the year 1951-52, together with a Memorandum.

श्री सन्तोषसिंह एवं श्री सन्धु की भूख हड़ताल सम्बन्धी श्री हरिकृष्ण व्यास के स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--Legislative Business.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Mr. Speaker, Sir...

श्री अध्यक्ष--I am just coming to it.

I have received two Adjournment Motions, one tabled by Shri Santosh Singh...

इसको मैं पढ़ देता हूँ।

"यह सदन ता० १५-५-५४ ई० को महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर के कर्मचारियों द्वारा, एपेन्डिसाइटिस के रोग द्वारा पीड़ित श्री हरिमूल चन्द्रानी की सुश्रुषा के प्रति असावधानी बर्तने के कारण हुई अकाल मृत्यु की गम्भीर स्थिति पर विचार करने के हेतु कार्यवाही स्थगित करता है।"

This is one. The other Adjournment Motion on a different subject is tabled by Shri H. K. Vyas that :

"This House do now adjourn to discuss the situation created by the thirty-second day of hunger-strike of Shri Gurdial Singh Sandhu resorted to by him in connection with the demand for cancellation of increased irrigation rates in Ganganagar." I suppose that the Treasury Benches Members have received both these motions.

श्री कुम्भाराम आर्य (चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह एडजोर्नमेन्ट मोशन बहुत देर से आया और कार्यवाही शुरू होने के बाद मुझे मिला है।

श्री सन्तोषसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने ४.५ बजे श्री सेक्रेट्री साहब को दे दिया था और ४. १० बजे माननीय मन्त्रीजी को दे दिया था।

श्री कुम्भाराम आर्य—कार्यवाही शुरू होने के बाद दिया गया।

श्री सन्तोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने कार्यवाही शुरू होने से पहले दे दिया था।

श्री अध्यक्ष— Order ! Order !! The wordings are :

"A motion for an adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be made with the consent of the Speaker.

A Member asking for leave must, before the commencement of the sitting of the day, hand to the Speaker ..."

The words are "sitting of the day" no specified time. The sitting may be late.

कु० श्री जसवन्तसिंह—सेक्रेट्री सहाब को.. (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—I fail to understand one thing. The Hon'ble Member on the Treasury Benches says that he received it at 4.05. I fail to understand whether he received it after the starting of the proceeding of the House or after the time limit ?

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, हम अंग्रेजी समझते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं इन दोनों प्रस्तावों को-पहले एक एक को लेता हूँ। श्री सन्तोषसिंह का प्रस्ताव इस सदन की कार्यवाही स्थगित करने का ऐसा अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोरटेन्स का नहीं है जिससे कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित करके इसको डिस्कस किया जावे। मैं इसको ओवर रूल करता हूँ किन्तु यह चाहूँगा कि माननीय मन्त्री इसके बारे में पूरी जानकारी करके एक वक्तव्य दे दें।

श्री कुम्भाराम—मैं कल तक इसका जवाब दे दूँगा।

श्री सन्तोषसिंह—मुझे भी बोलने का मौका दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष—दूसरे प्रस्ताव के बारे में हंगर स्ट्राइक का प्रश्न है। मैं इस एडजोर्नमेंट मोशन को भी ओवर रूल करता हूँ लेकिन इसके बारे में भी मैं यह चाहूँगा कि माननीय सदस्य की जानकारी के लिए सरकारी बैंच की तरफ से वक्तव्य पूरी जानकारी करके आज या कल दिया जावे।

श्री टीकाराम पालीवाल (गृह मन्त्री)—मैं अभी जवाब देने के लिए तैयार हूँ।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं असल में माननीय सदस्य का अनुगृहीत हूँ कि उन्होंने इस प्रश्न को उठा कर मुझे इस प्रश्न पर सदन को जानकारी देने का अवसर दिया।

गंगानगर जिले में बहुत वर्षों से पुरानी सिंचाई की दरें चली आ रही थीं और वे आजकल की पैदावार के भावों को देखते हुए व कैनाल के मेन्टीनेन्स को देखते हुए बहुत कम थीं। बराबर के पन्जाब के इलाकों में भी अभी कुछ वर्ष पहले सिंचाई की दरें बढ़ाई गई थीं, इसलिये राजस्थान गवर्नमेंट ने भी यह निश्चय किया कि गंगानगर में वाटर रेट्स बढ़ायी जावें। १६५१ में ही ऐसा विचार किया गया था, लेकिन लागू किया गया १६५३ के आखिर में। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। उनका विरोध किसी भी वास्तविक तथ्य पर आधारित नहीं था किन्तु उनका विरोध इसीलिये था कि कोई भी कार्य सरकार करे, उसका विरोध किया जावे। फिर भी जो लोग विरोध करते थे उनको अपने पोइन्ट ऑफ व्यूज़ सरकार के सामने रखने का पूरा अवसर नहीं दिया गया, यह नहीं माना जा सकता। मैंने स्वयं कुछ महीने पहले गंगानगर के अधिकांश एम. एल. एज़. को बुला कर उनके सामने सरकार की स्थिति का स्पष्टीकरण किया और यह समझाया कि राजस्थान के दूसरे भागों में अभी भी सिंचाई की दरें गंगानगर में जो कुछ लागू हैं, उनसे अधिक हैं। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि जो कुछ रेट्स बढ़ाई गई हैं उनमें से कुछ न कुछ कम कर दी जावें। सरकार ने उनके आग्रह को मानते हुए कुछ रेट्स में कमी की। उस समय बात-चीत करने वालों में श्री गुरुदयालसिंह भी शामिल थे और उन्होंने भी कुछ सुझाव दिये और किसी में ८ आने कम कर दिये जाने के लिए कहा। उनके प्रस्ताव को मान लिया गया हो, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन काफी हद तक उनके सुझावों को मान लिया गया। उन्होंने खास एक चीज के लिये कहा कि १४ आने कम कर दिये जावें तो ठीक होगा। सरकार ने १२ आने किये। इस प्रकार जितने भी प्रस्ताव आये थे और जो लोग आए थे सब सन्तुष्ट होकर गये। इसके बाद जब लगान वसूली का समय आया तो उस समय सरकार को यह जानकर आश्चर्य हुआ। कुछ लोग तो विरोध करने वाले थे ही, कुछ लोग ऐसे हैं कि सरकार की ओर से कुछ भी न्यायपूर्ण बात हो, उसका विरोध करना ही। उनकी नीति ही सरकार के कामों में रुकावट डालने की है। सरकार को यह आश्चर्य हुआ कि श्री गुरुदयालसिंह ने इस प्रकार की कार्यवाही में अपना सहयोग दिया। श्री गुरुदयालसिंह ने स्वयं भी सिंचाई की दरों का पेमेन्ट नहीं किया। उन्होंने लेन्ड रेवेन्यू का भी पेमेन्ट नहीं किया। इसलिये रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ ने बीकानेर रेवेन्यू लॉज़ (Bikaner Revenue Laws) के अनुसार उनको डिटेन किया।

यदि वे डिटेन्शन में नहीं रहना चाहते थे तो उनके लिये बहुत सीधा रास्ता था कि वे लेन्ड रेवेन्यु और सिंचाई की दरों का पेमेन्ट कर देते। परन्तु डिटेन्शन से छूटने के लिये उन्होंने, मैं कहूँगा, दूसरा ही उपाय सोचा। उन्होंने डिटेन्शन में रहते हुए एक-दो दिन बाद भूख-हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने इसके लिए कोई कारण नहीं दिया, सिवाय इसके कि वे डिटेन्शन में रहना पसन्द नहीं करते थे। डिटेन्शन के दौरान में उनको अधिक से अधिक फेसिलिटीज़ दी गईं, अधिक से अधिक उनको आराम में रखने की कोशिश की गई। बिजली का पंखा दिया गया, जेल में जिस कमरे में रखे

Page No.44

[श्री टीकाराम पालीवाल]

गये थे, उसके खस की टटि ट्याँ लगाई गई, भोजन नहीं करते थे इसलिए उनको ग्लूकोज़ दिया गया जिसके लिये उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। ग्लूकोज़ में लोट ऑफ केलोरिक वेल्यूज़ (lot of caloric Values) है, जिसको सब जानते हैं। १७-१८ अप्रेल से जब से उन्होंने भूख-हड़ताल शुरू किया, १४ मई तक डिटेन्शन में रहे वे करीब-करीब अच्छी हालत में रहे। वे घंटों बातचीत कर सकते थे। कोई विशेष हानि उनके स्वास्थ्य की नहीं हुई और यह ग्लूकोज़ का ही कारण था। सरकार ने जान-बूझ कर प्रयत्न किया कि अगर वे अन्न न खायें तो भी उनके शरीर की शक्ति कम न होने पाये। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इसमें हमको सहयोग दिया। १६ मई को रेवेन्यू लॉ के अनुसार छोड़ दिये जाने चाहिये थे। लेकिन सरकार ने उचित समझा कि १६ तारीख को बीकानेर में न छोड़े जायं क्योंकि आखिर में कुछ कमजोरी आई थी। इससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि जहाँ से लाये गये हैं, उनके घर से, आराम से डिटेन्शन का पीरियड खत्म होने से पहले ही वहाँ पहुँचा दिया जाय। इसलिये १४ तारीख को बीकानेर जेल से उन्हें निकाल कर घर पहुँचा दिया गया जिसके लिए उन्होंने लिखा है कि जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया गया। यहाँ आने के लिए जेल से उन्होंने गवर्नमेन्ट होस्टल में कमरा रिज़र्व कराने के लिए तार आदि भी दिये थे। वे सदन में उपस्थित होने को तैयार थे। इससे प्रकट होता है कि उनमें इतनी कमजोरी नहीं थी कि वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकते। मैंने निवेदन किया है कि अन्न उन्होंने नहीं खाया, ग्लूकोज़ उनको दिया गया था जिसको कि उन्होंने लिया। उससे उनकी स्ट्रेन्थ को मेन्टेन किया गया और वह (हेल्थ) बराबर मेन्टेंड (maintained) रही। १४ तारीख की शाम को बीकानेर जेल से निकाल कर जहाँ अधिक आराम हो सकता था उनको १५ तारीख की सुबह को उनके घर पहुँचा दिया गया। मेडीकल अटेन्डेन्स उनको मिली थी, डॉक्टर्स उनको एग्जामिन करते थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट हमारे पास आती थी, कभी कोई चिन्ता का समाचार नहीं आया। कुछ तो कमजोरी आई ही थी। १५ तारीख को घर पहुँचने के बाद ६० मील अपनी कार से वे गंगानगर पहुँचे और पब्लिक मीटिंग को उन्होंने शाम को अड्रेस किया। अब आप देखेंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे चिन्ता का विषय हो गया हो। १५ तारीख को उनके घर पहुँचा दिया गया, उसके बाद चाहे वे हंगर स्ट्राइक पर रहे हों, ग्लूकोज़ लेते थे या नहीं तथा और कोई चीज, चाहें ग्लूकोज पर रहे, चाहे पानी पर रहे चाहे हवा पर रहे, चाहे फ्रूट ज्यूस पर रहे, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। १५ तारीख को पब्लिक मीटिंग एड्रेस की जिससे प्रकट होता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो चिन्ता का विषय हो। कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो उनको इस भूखहड़ताल का फायदा उठाना चाहते हैं। ग्लूकोज़ पर रहने का जो समय रहा उसका फायदा उठाना चाहते हैं। सदन में ऐसे माननीय सदस्य हैं जो शुरू से ही इस चीज़ में दखल रखना चाहते थे, वे गुरुदयालसिंह जी से अधिक चतुर हैं। सरकार इसमें कुछ करेगी या नहीं यह उनको मालूम था। जब माननीय सदस्य को यह मालूम हुआ कि सरकार दृढ़ है और रेट्स में कमी नहीं करेगी, क्योंकि वह उसको न्याय-पूर्ण समझती है और इसमें उनको कोई श्रेय नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने ऐसे स्ट्राइक में हाथ नहीं डाला।

(सदन में 'हियर, हियर' की आवाज)

[श्री टीकाराम पालीवाल]

गुरुदयालसिंह जी भूल से फँस गये। वे उसका लाभ उठाना चाहते थे, किन्तु इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ६५ परसेन्ट वसूल हो गई है और एक-दो तहसीलों में तो ६७ और ६८ परसेन्ट वसूल हो गई है। वह ऐसी चीज़ नहीं है जो लोगों को अखरती हो। पोलिटिकल स्टंन्ट बनाने के लिए या इसका और कोई उपयोग करने के लिये यह चलती रही हो तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। सरकार की ओर से कोई सख्ती नहीं की गई, न गुरुदयालसिंहजी के साथ सख्ती की गई और न कोई काश्तकार इसको सख्ती मानता है। अब पोलिटिकल मेन्योवरिंग किया जा रहा है। आमतौर पर भी, साधारणतया भी वसूली में पाँच-सात पर्सेन्ट एरियर्स रहा ही करते हैं। इस साल कम एरियर्स रहे हैं। मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है कि लोग उन लोगों की बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं जो गलत रास्ते पर चलने के लिए बहकाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--एक मिनिट के लिए मैं एक पोइन्ट क्लियर करना चाहता हूँ। एरियर्स के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां कितनी हुईं? यदि एरियर्स नहीं थे तो फिर गिरफ्तारियां क्यों की गईं?

श्री टीकाराम पालीवाल--इसका हंगर स्ट्राइक से ताल्लुक नहीं है। गिरफ्तारियां हुई हैं और उनकी संख्या पाँच सौ की है। गिरफ्तारियों में ऐसे लोग आते हैं जो अपना नाम नहीं बताते, जिनका पेशा नहीं है, धन्धा नहीं है; ऐसे लोग आते हैं। सभी लोग तो ऐसे नहीं हैं किन्तु कुछ लोग ऐसे हैं। कुछ लोग बहका कर लाये जाते हैं। 'लगान नहीं देना पड़ेगा' यह चीज़ बहुत लोगों को अच्छी लगती है; 'सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी जीत हो रही है और इससे वातावरण ऐसा बन जायगा कि अपना जिला पंजाब से मिल जायगा'। अलग-अलग बातें कह कर, भोले लोगों को बहका कर खड़ा किया गया और उनको गिरफ्तार कराया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir, Under Rule 55, certain points have been raised and I want time to make personal explanation.

श्री अध्यक्ष—I allow you.

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, हम अभी श्री गुरुदयालसिंह सन्धु की भूख हड़ताल के सिलसिले में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे बहुत खेद हुआ......

श्री टीकाराम पालीवाल--The Hon'ble Member has not been named.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have more commonsense than that. I can understand without being named.

(विराम)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं अभी अर्ज कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि हम अभी श्री गुरुदयालसिंह सन्धु के भूख हड़ताल के सिलसिले में बातें कर रहे थे, उस समय बहुत सी बातों का जिक्र किया गया। मुझे बहुत अफसोस है कि कलतक जो साथी थे और जिनके बल-बूते पर आप सत्ता चला रहे हैं........

श्री श्रीदास गोयल—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य पर्सनल एक्स्प्लेनेशन की तौर पर कुछ कहने की इच्छा प्रगट करते हैं; लेकिन वे जो कह रहे हैं उससे तो यह पता चल रहा है कि वे जनरल डिस्कशन कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने अभी बोलना शुरू ही किया है। आगे मैं क्या बोलूँगा; आप जरा पेशेन्स (धैर्य) रखते तो आपको पता चलता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—Then I will ask the Hon'ble Member what are the allegations which he wanted to explain.

श्री हरिकृष्ण व्यास—There were plenty, lot of allegations. Allegations of irresponsibilities, allegations of opportunism, allegations of trying to create troubles where none exist.

श्री अध्यक्ष—They are not personal.

श्री टीकाराम पालीवाल—I only said, there are some elements. I did not name any Hon'ble Member.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I know the Hon'ble Member was hesitating to say. I do not hesitate to go into the question, because I want that the world at large could be pleased to know that I did not do any wrong. I am only going to take two or three minutes.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member will not misuse the time that I have given to him. He will strictly be within the scope of the personal explanation.

श्री हरिकृष्ण व्यास (अपना भाषण जारी रखते हुए)—अभी-अभी जो कुछ कहा गया उसकी मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं दो या तीन पोइन्ट्स की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली चीज तो यह कि इस प्रकार के आरोप लगाना कि असन्तोष है ही नहीं, यह तो कुछ लोगों के बहकावे में आकर यह आन्दोलन चलाया जा रहा है, इत्यादि।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जो वहां रेट्स लागू किये जा रहे हैं, वे अड़ोस-पड़ोस के इलाके से कई गुना ज्यादा हैं। जो आज सरकार ले रही है पास के इलाके से जहां ६ आना रेट है, वहां ६ रुपये, ८ रुपये तक ली जा रही है।

श्री टीकाराम पालीवाल—The Hon'ble Member is encroaching upon the time of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It will only take two minutes.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member can offer personal explanation, but not raise discussions by way of, under the guise of personal explanation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not want to raise discussions. I only mean to reply to certain asperasions that have been cast on me.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member may Continue.

श्री हरिकृष्ण व्यास (जारी)—तो, इस प्रकार से जब सब दुनिया में महसूस यह हो रहा है कि यह जो आन्दोलन किया जा रहा है न्यायोचित है, तो उस इलाके के लोगों ने उसका साथ दिया। यह जो कहा जा रहा है कि उलझनें पैदा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, बिल्कुल गलत है......

श्री टीकाराम पालीवाल—On a point of order, Sir, the Hon'ble Member is repelling certain alleged allegations which he supposes were made against him. He is not giving any explanation about his stand or his conduct.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will just now give the necessary explanation. Please wait a minute.

तो, मैं यह कह रहा था कि जो सरकार यह सोचती है कि कुछ लोगों के इस तरह बहकावे में आने से, आन्दोलन करने से होने वाला कुछ नहीं मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार चाहे कितने ही कठोर से कठोर कदम उठावे, न्यायपूर्ण लड़ाइयां होती रहेंगी और न्यायपूर्ण चीज के लिये आन्दोलन करना उसका हक है; उसे कोई छीन नहीं सकता।

(आवेश में वक्ता महोदय द्वारा प्रयोग में लाई गई भारी ध्वनि पर)

श्री जयनारायण व्यास—On a point of order, Sir, is he speaking on personal explanation or is he trying his personal lungs ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am trying to exert my lungs to remove a misconception which has been created.

श्री अध्यक्ष—Order ! Under the guise of personal explanation, the Hon'ble Member has already expressed what he wanted to do, and now we are proceeding with the legislative business.

The purpose of the adjournment motion is served.

विधायी कार्य

१. पुरःस्थापित किये गये विधेयक

(क) राजस्थान सामान्य खण्ड विधेयक, १९५४.

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for and facilitate the interpretation of Rajasthan laws and make other provisions relating thereto.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री टीकाराम पालीवाल—I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष—Next.

(ख) राजस्थान कोलोनाइज़ेशन विधेयक, १९५४.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to intrduce a Bill to make better provision for the colonization and administration of lands in Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I introduce the Bill.

Page No.49

(ग) राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) संशोधन विधेयक, १९५४.

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Tte leave is granted.

श्री भोलानाथ—I in oduce the Bill.

(घ) राजस्थान जागीर पुनर्ग्रहण तथा भूमि-सुधार (संशोधन) विधेयक, १९५४.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the amendment of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act, 1952.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I introduce the Bill.

२. प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के हेतु समय में वृद्धि

(क) राजस्थान भार तथा नाप विधेयक, १९५४.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for regulating the use of weights and measures in the State of Rajasthan and for other ancillary matters be extended up to the 24th May, 1954.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted and hence the time is extended.

(ख) राजस्थान सामान्य विक्रय कर विधेयक, १९५४.

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for the levy of a general tax on the sale of goods in Rajasthan, be extended upto the last day of the current session ?

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

The leave is granted and hence the time is extended

(ग) राजस्थान राज्य-सुरक्षा विधेयक, १९५२.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to provide for special measures to prevent activities prejudicial to the security of the State, be extended upto the last day of the first week of the next session.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

The leave is granted and hence the time is extended.

राजस्थान कृषि-भूधारण विधेयक, १९५३.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on the Bill to consolidate and amend the law relating to agricultural tenancies of the State of Rajasthan and other matters connected therewith be extended upto the 18th May, 1954.

श्री अध्यक्ष—Is it the 18th May, 1954.

(श्री राजस्व मंत्री द्वारा 'हां' करने पर)

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The leave is granted and hence the time is extended.

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन की उपस्थिति के लिए समय में वृद्धि

श्री रामकिशोर व्यास (सभापति, विशेषाधिकार समिति)—Sir, I beg to move that as required under subrule (1) of rule 58 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly the time appointed for the presentation of the Report of the Privilege Committee on a question of privilege raised by Shri Vedpal Tyagi be extended upto the last day of the current session.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to move an amendment. Make it three days earlier than the last day, because we will be required to discuss for one day and if it is presented on the last day, then we would not be able to discuss, and if it is kept for discussion in the next session it will be of no use.

So make it three days before the last day. I hope this will be accepted.

(श्री रामकिशोर व्यास द्वारा इसकी स्वीकृति में सिर हिलाने पर)

एक माननीय सदस्य—He accepts the amendment.

श्री अध्यक्ष—एक सप्ताह के लिए रख दें फिर ?

I may inform the Hon'ble Members of the House that the Report is practically ready

श्री रामकिशोर व्यास—मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। नहीं तो चूंकि ऑफिस वर्क बाकी है बाद में भी रक्खा जावे तो कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

राजस्थान धारण-विधेयक, १९५३.

श्री लालसिंह शक्तावत—Sir, I present the Report of the Select Commi-

[श्री भोलानाथ]

ttee on the Bill to consolidate and amend the law relating to agricultural tenancies in the State of Rajasthan and other matters connected therewith.

श्री उपाध्यक्ष द्वारा बाईं ओर की प्रथम बैठक पर स्थान-ग्रहण सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष—I will ask the Deputy Speaker (श्री लालसिंह शक्तावत) to sit on the first seat on the left, just aside the Leader of the Opposition.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—He has changed colour.

श्री अध्यक्ष—That is why I want him to sit on the left.

(विराम)

Next, Shri Bhola Nath.

प्रवर समिति को दिये गये विधेयक

राजस्थान सीमेंट विक्रय करारोपण विधेयक, १९५४.

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "दी राजस्थान सेल्स ऑफ सीमेंट टेक्सेशन बिल, १९५४" को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री चाँदमल मेहता—मैं इस पर बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष द्वारा बाईं ओर की प्रथम बैठक पर स्थान-ग्रहण करने सम्बन्धी

कुँ० श्री जसवन्तसिंह (श्री अध्यक्ष द्वारा श्री उपाध्यक्ष को दिये गये आदेश के प्रसंग में)—

I should like the precedent of the House of the Commons.

श्री अध्यक्ष—That is the precedent. Just to give you (श्री जसवन्तसिंह विरोधी दल के नेता) a better hearing.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It is not necessary that in the House of Commons the Deputy Speaker has the first seat on the left.

श्री अध्यक्ष—The Dy. Speaker has the first seat on the left.

(क) राजस्थान सीमेंट विक्रय करारोपण विधेयक, १९५४.

श्री चाँदमल मेहता—सीमेंट की बिक्री पर कर लगाने के सम्बन्ध में जो विधेयक अभी माननीय मन्त्री महोदय ने रक्खा है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सदस्यों के नाम नहीं पढ़े गये, जैसा कि कार्य-क्रम में हैं; इसलिए प्रस्ताव अधूरा है। पूरा पढ़ा जावे तब इस पर विचार होना चाहिये। नाम अभी पेश किये जावें।

श्री भोलानाथ—नाम बाद में अभी थोड़ी देर में बता दिये जावेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसमें लिखे गये नाम पढ़े जावेंगे तो हमें मालूम हो सकेगा कि क्या प्रस्ताव है, नहीं तो हमें मालूम नहीं, हम किस तरह क्या करें?

श्री भोलानाथ—नाम सदन के समक्ष पेश कर दिये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member's name (श्री हरिकृष्ण व्यास के संकेत से) must be on the Select Committee.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Not that. The more important thing is that हमेशा क्या होता है?

श्री जयनारायण व्यास—That is the parliamentary practice कि बाद में भी नाम दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—We take the motion as moved.

श्री चाँदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस टैक्स को लगाने के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं उनमें यह बात बताई गई है कि जो सीमेंट बाहर से आता है उस पर कस्टम ड्यूटी ली जाती है, पर राजस्थान में जो सीमेंट पैदा होता है और वह जो बिकता है उस पर टैक्स नहीं है इसलिए दोनों को समान स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इस पर क्स लगाया जावे। इसके साथ दूसरा कारण एक आमदनी का साधन होने का इसे बताया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीमेन्ट पैदा होता है राजस्थान में उस पर कोई ड्यूटी न हो, ऐसी बात नहीं है। अगर माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते तो इस बात का उनको पता चल जाता। यह हो सकता है कि वह टैक्स उनके डिपार्टमेंट में जमा न होता हो, दूसरे किसी और डिपार्टमेंट में होता हो।

Page No.54

[श्री चाँदमल मेहता]

तो मैं बता रहा था कि राजस्थान में जहाँ सीमेंट की बिक्री होती है तो इस पर कई जगह यह टैक्स लिया जाता है। वह सेल टैक्स के नाम से जरूर नहीं है पर रॉयल्टी के नाम से है और यह टैक्स कहीं एक आना प्रति मन के हिसाब से है और कहीं दो आना प्रतिमन के हिसाब से भी लिया जाता है। जिन जगहों की मुझे डेफिनिट जानकारी है उनके बारे में मैं कहता हूँ कि किशनगढ़ में यह ड्यूटी दो आना प्रतिमन है। रॉयल्टी के नाम पर यह बिक्री टैक्स लिया जाता है।

दूसरी ओर जहाँ तक आमदनी की बात बताई गई है उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि जहाँ तक इन उद्योग-धन्धों पर टैक्स लगाने का सवाल है हमें सोचना होगा कि इनका उन उद्योग-धन्धों पर क्या असर पड़ेगा? हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन होता है उस पर और प्रोडक्शन के उपभोक्ताओं पर भी इसका क्या असर होने वाला है? मैं एक बात आपसे निवेदन करूँ कि जिसके लिए मुर्गी सोने का अण्डा देती है वही अगर, लालच में आकर सारे सोने के अण्डों को लेने के इरादे से अगर मुर्गी का पेट ही चीर दे तो उसकी क्या हालत होती है? इसी तरह से अगर हमारी सरकार इस रॉयल्टी से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के लालच से इन उद्योग-धन्धों पर टैक्स लगाने का इरादा कर रही है तो इस मामले में भी वही हालत होगी। ये उद्योग-धन्धे पनप नहीं सकेंगे और जो रॉयल्टी आज मिल रही है उससे भी सरकार को वंचित होना पड़ेगा। मैं यह भी अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि सीमेंट के बारे म हमारा मुल्क आत्म निर्भर नहीं है। बाहर से, इंगलैंड से अमेरिका से और दूसरे-दूसरे मुल्कों से यह हमारे यहाँ आता है। ऐसे उद्योग के लिए, जिसके लिए कि हमारा देश आत्म-निर्भर नहीं है, अगर राजस्थान प्रयास कर रहा है तो आवश्यकता तो इस बात की थी कि इस प्रयास को यहाँ की सरकार और प्रोत्साहन देती, बजाय इसके कि टैक्स लगाकर जो कुछ थोड़ा बहुत प्रयास इस समय किया जा रहा है उसकी भी कमर तोड़ती।

अध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन करना चाहता हूँ कि सीमेंट पर हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पाँच रुपया प्रति टन टैक्स लगाया है। इससे तो यह उद्योग दबा हुआ ही था कि इसके साथ एक और दूसरा टैक्स लगाने की बात राजस्थान सरकार सोच रही है। यह मल्टी पर्पज़ टैक्स (multi-purpose tax) है और इसका मतलब यह होगा कि सीमेंट और मंहगा होगा और इसके उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। एक किसान को कुआ बनाने आदि काम के लिए आम तौर पर इसकी जरूरत होती है और आम जनता को भी अपने मकान आदि बनाने के लिए यह चाहिये। तो, इस तरह इसका सारा बोझा इन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा।

तो जिन उसूलों और सिद्धान्तों को लेकर यह सीमेन्ट का टैक्स लगाने की बात कही जा रही है वह गलत है। माननीय मन्त्रीजी इस पर फिर से सोचेंगे और यह भी देखेंगे कि "यह टैक्स नहीं है" की जो बात वे कहते हैं वह वास्तव में सही नहीं है; दर असल में इस पर पहले से ही टैक्स

[श्री चाँदमल मेहता]

है। और इस तरह से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद में इस विधेयक पर विचार करेंगे तो मेरे खयाल से ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—This should be a discussion on the principle; that on principle it should not be taxed.

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—सिद्धान्ततः यह विरोध है।

श्री चाँदमल मेहता—जिस तरह, जिन आधारों पर और जिन सिद्धान्तों पर यह टैक्स लगाया जाने को है उन्हीं सिद्धान्तों पर मैंने कहा है।

श्री अध्यक्ष—(श्री भोलानाथ को संकेत करके) No other Member of the House wants to discuss it on the principle, Reply.

(विराम)

श्री भोलानाथ—अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो ऐतराजात किये हैं वे इस प्रकार के हो सकते हैं कि उनसे वास्तव में किसी प्रकार की असुविधा हो या वह कोई नया कानून हो या कोई ऐसा कानून चल रहा है कि उसके अन्दर शब्दों को ले लें जिससे कि इसके बाद में पास करने की आवश्यकता न हो। इस समय सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के वक्त वे प्रिन्सीपल्स पर ऐतराजात करते हैं जो कि इन्ट्रोडक्शन के टाइम पर होने चाहिए थे। यह उचित नहीं मालूम पड़ता है।

जहाँ तक इसके स्टेटमेण्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो लिखा गया है उसमें साफ बात है। चाहे बाहर का हो या यहाँ का हो उस पर विशेष टैक्स नहीं लगाया है। इसलिए मैं यह सलाह देता हूँ कि ऐसा कोई स्टेप लेने के बाद ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी है कि यह चीज़ यहाँ की बनी हुई है और यह बाहर से आने वाली है, दूसरे कन्ज़म्पशन में दिक्कत आ जायगी। मैं आशा करता हूँ कि इस आश्वासन के बाद मैंने जो अपना वक्तव्य दिया है उस पर संतोष मानेंगे और इसको सिलेक्ट कमेटी में सुपुर्द करने की आज्ञा देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "राजस्थान सेल्स ऑफ सीमेंट टेक्सेशन बिल, १९५४" को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रवर समिति को देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[श्री अध्यक्ष]

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(क) राजस्थान उत्पादन भाटक निमायक (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulating Act, 1951, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रोड्यूस रेन्ट्स रेग्यूलेशन (तृतीय संशोधन) बिल, १९५३, को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, वैसे तो मेरे एमेंडमेंट का कोई नोटिस नहीं है, मगर आप इजाजत देते हैं तो मैं एक एमेंडमेंट मूव करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—अब भी तैयार हूँ। लाइये, मेरे पास लाइये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्लॉज ४ (सी) में "Knowingly" शब्द है।

श्री अध्यक्ष—We are taking into consideration clause by clause.

श्री हरिकृष्ण व्यास—You are referring to Clause 2, which will be the first clause to be taken into consideration. In that I want an amendment, that the word 'knowingly' be deleted.

श्री अध्यक्ष—The Member has tabled this amendment that in clause 4 (c) which reads as "**Tenant entitled to compensation for illegal exactions.** If any person knowingly collects any sum......" He wants the deletion of the word 'knowingly.'

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं यह मान कर चलता हूँ कि मेरा अमेन्डमेंट प्रस्तुत हो चुका।

Page No.57

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जैसा कि इस बिल में उद्देश्य के सिलसिले में लिखा हुआ है और जैसा कि हमारा अनुभव है राजस्थान में बावजूद इसके कि लगान की हद मुकर्रर हो गई है, बावजूद इसके कि बांटा मुकर्रर हो गया हैं, उस पर भी एक नहीं अनेक केसेज़ लगान के चल रहे हैं; इसमें यह दिखता है कि कानूनन अमल होते हुए भी हमेशा के अलावा उनसे कहीं बढ़-चढ़ कर लगान आज किसानों से वसूल किया जा रहा है। अब यह जो क्लॉज सरकार ने इन्सर्ट करने के लिए प्रस्तावित किया है, यह इस हद तक तो ठीक प्रकार का कदम है कि यदि किसी किसान से कानून द्वारा जितना लेने का अधिकार है उससे ज्यादा लेने का प्रयत्न करे अथवा ले, तो न सिर्फ उसको उतना पैसा अथवा धान जो वह ज़्यादा ले लेता है वापिस देना पड़ेगा, बल्कि इस गल्ती के लिये जुर्माना भी देना पड़ेगा। यह तो इसकी सही मन्शा है, लेकिन उसमें यह "नोइङ्गली" शब्द डालने से हरेक को बचने का मौका मिल जायगा। यह तो साबित हो जायगा कि अमुक जागीरदार ने अमुक किसान से बाँटे में छटे बाँटे के बजाय चौथा बाँटा लिया, यह भी साबित हो जायगा कि जिन चीजों की लटाई नहीं होनी चाहिये उसकी लटाई करवाई या यह भी साबित हो जायगा कि लगान की जो कीमत तय है; रुपये, आना, पाई में लिया जाता है, तो उससे ज्यादा इधर-उधर की लाग-बाग वगैरह कुछ रुपया लगाकर और रुपया ले ले, लेकिन यह साबित होने के बाद यह सफाई दी जायगी कि यह अनजाने में हो गया है, वह हमने जान-बूझकर नहीं किया है और जानबूझ कर इस प्रकार का कार्य किया है या नहीं, यह साबित करना बड़ा कठिन हो जाता है अगर गवर्नमेंट इस शब्द का इस्तेमाल करेगी तो। चूँकि कानून मौजूद है और कानून की जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होनी चाहिये, ऐसा कानून ने माना है। इसलिए अगर कानून मौजूद है और किसी ने ज्यादा लगान लेने की कोशिश की तथा ज्यादा लिया तो यह मानकर चलना चाहिये कि उसने जान-बूझकर लिया है, इसलिए "नोइङ्गली" शब्द हटा लेना चाहिये। ऐसा मेरा एमेन्डमेंट है, माननीय मन्त्रीजी की स्वीकृति के लिए। अगर स्वीकृति नहीं है मिनिस्टर साहब की, तो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, जो धारा विचारार्थ प्रस्तुत की गई है, मैं समझता हूँ कि इसकी मन्शा बहुत स्पष्ट है और इसलिए पेश की गई है कि अगर किसान से जो जायज लगान है उससे अधिक वसूल किया जाता है, तो उस हालत के अन्दर एक पेनाल्टी क्लॉज रखी गई है जो कि जोधपुर और जयपुर में पुराने कानून के अन्दर विद्यमान थी। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने यह कहा कि "नोईंगली" शब्द से दिक्कत हो सकती है और जो मन्शा इस एक्ट की किसानों को राहत देने की है। उसमें अड़चन पैदा हो सकती है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा कि यह शब्द "नोईंगली" इसमें से हटा लिया जाय और इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House that the amendment be accepted.

(स्वीकृत)

Yes. The amendment is accepted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I beg to move that the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि......

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, टाइटल को भी अगर कर लिया जाय......

श्री अध्यक्ष—It is not necessary. There are specific rules in the Rules of Procedure.

(स्वीकृत)

The Bill is passed. Next.

नेक्स्ट ।

(ख) राजस्थान भूदान यज्ञ विधेयक, १६५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the Bill to facilitate Donation of land and distribution thereof in connection which the Bhoodan Yagna movement initiated by Shri Acharya Vinoba Bhave, as reported upon by the Select Committee, be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I have an amendment on this motion.

श्री अध्यक्ष—You have moved some amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have given notice of my intention to move an amendment in regard to this particular motion long back and my amendment is that this Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon. It is dated 17. 4. 54, if I remember correctly.

श्री अध्यक्ष—I am sorry that this could not be circulated due to the inadvertence of the office.

(विराम)

The motion is that the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon by October 30, 1954.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो बिल आज हमारे सामने है उस बिल पर जन-मत संग्रह करने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है। माननीय अध्यक्ष, इस बिल का संबन्ध जिस भूदान

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

आन्दोलन से है वह देश के सामने एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है। इस पर कई लोगों के अलग-अलग मत हैं। क्या यह किसानों को दर असल में अच्छी जमीन उपलब्ध कर सकेगा, इसके बारे में जुदी-जुदी राये हैं और जब इस सवाल पर देश की विभिन्न पार्टियों में, इकोनॉमिस्टस में, यहाँ तक कि प्लानिंग कमीशन के मेम्बर्स तक आपस में जुदे-जुदे पहलू हैं, ऐसे समय में किसी एक विशेष प्रकार के आन्दोलन पर राज्य की मोहर लगा देना उचित नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जैसा कि इस बिल के उद्देश्य में कहा गया है कि यदि कोई स्वयं जमीन दे और इस प्रकार दान दी हुई जमीन को इकट्ठा करके हम उसे भूमिहीन किसानों को बाँट दें तो कितना अच्छा यह उद्देश्य है, कितना किसानों के हित का यह कार्य है, ऐसा कहा जाता है।

[श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन]

मैं जानता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि जब मन्त्री महोदय अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बोलने के लिए खड़े होंगे तब बार बार इसी तरह की रट लगायेंगे। लेकिन, मैं यह भी जानता हूँ कि जिन "गाँधीजी का चेला" अपने आपको मानते हैं और जिन गाँधीजी के चेले विनोबाजी हैं, जिनकी कि भूदान के लिए हमेशा दुहाई दी जाती है उन्हीं गाँधीजी की सहयोगिनी मीरा बहिन ने क्या राय दी है इस बिल पर; माफ कीजियेगा बिल पर नहीं बल्कि इस आन्दोलन के बारे में? जरा उस पर गौर फरमायेंगे तब पता चलेगा कि जब आपस के विचार विभिन्न हैं तब इसे कानून का रूप देकर हमारे देश का हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक प्रकार के मठाधीशपन को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं आपको हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक २ मई, १९५३ में छपी श्रीमती मीरा बहिन की राय बताना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे भूदान आन्दोलन के बारे में तसल्ली नहीं है। उनके शब्द ये हैं : "That I did not open my mouth on this question because in face of the nation-wide enthusiasm expressed for the campaign it would be painful to have a say that I did not quite like it." उन्होंने कारण भी दिया है कि यह क्यों उनको पसन्द नहीं है और उन्होंने यह भी कहा है। "On the contrary I cannot get away from the feeling that unfair advantage is being taken of the religious and dutiful sentiments of humble villagers" आज देहात के अन्दर लोगों में जो एक भावना है उस भावना का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा आरोप किया और यह कहा है कि, "It appears that most of the land donated is of inferior quality and some of it very bad. Donations by the rich come, I believe, largely under this head In Uttar Pradesh over 80 percent of the land collected is of this inferior character." और इस प्रकार से आज क्या हो रहा है। इस प्रश्न पर आन्दोलन होने के नतीजे से आज देश में क्या परिस्थिति पैदा हो गई है? इसका निष्कर्ष निकाला है माननीय उपाध्यक्षजी,........

(कुछ ठहर कर)

मैं बात कह रहा हूँ लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मैं अर्ज कर रहा था माननीय उपाध्यक्षजी, उन्होंने नतीजा निकाला है और वह यह है : "Going on at this pace the solution of the land problem on the Bhoodan lines would result in the landless and the semi-landless having the worst lands in the country distributed amongst them while the rich would hold on to the best lands and at the same time earn credit by having their names in the lists of land donors. Therefore, it seems to me a confusing round about way of approaching the straight issue of fair and appropriate land distribution." श्रीमती मीरा बहिन को यह शिकायत है, न सिर्फ यह कि इस प्रकार धीरे-धीरे कितने ही वर्षों में जाकर यह कार्य पूरा होगा, बल्कि यह कहती है कि यदि यह कार्य पूरा भी हो गया तो एक विशेष परिस्थिति का देश में निर्माण हो जायगा। वह परिस्थिति यह होगी कि जो गरीब किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं उनको गई-बीती, कम उपजाऊ या बंजर जमीन मिल जायगी और जो अभी बड़े-बड़े जागीरदार, जमीनदार और बड़ी-बड़ी जमीन पर कब्जा किये हुए ठेकेदार हैं वे न सिर्फ अच्छी-अच्छी जमीन अपने पास रखेंगे बल्कि अच्छी-अच्छी जमीन अपने पास रखने के साथ ही साथ सेवा भावी बनने में अपना नाम दर्ज करायेंगे और कहेंगे कि श्री विनोबाजी को हमने भूदान दिया। ऐसा वे नाम दर्ज करायेंगे। ऐसी परिस्थिति पैदा होने वाली है। ऐसा देश के कुछ लोगों का ख्याल है कि भूदान से बड़ी उन्नति होगी, लेकिन कई लोगों का ख्याल है कि इससे समस्या हल नहीं होगी। इसमें न सिर्फ अलग-अलग राजनैतिक विचार-धारा के लोग ही हैं लेकिन खुद गांधीजी की सहयोगिनी मीरा बेन ने भी जो विचार प्रकट किये हैं वे मैंने आपको बताये हैं।

अब मैं इस सम्बन्ध में दूसरे पहलू का जो जिक्र करूँगा वह यह है कि हमें जितनी चाहिये जमीन मिल सकती है। शायद ३०, ४० या ५० लाख एकड़ का टार्गेट राजस्थान ने रखा है। कितना रखा है यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अखबारों से सुना गया है कि राजस्थान ने अपना इस प्रकार का टारगेट रखा है। लेकिन जितनी जमीन मिलेगी उससे एकड़ों से काम नहीं चलेगा। जैसलमेर में बहुत जमीन है और कोई ताज्जुब नहीं कि आज इस प्रकार का बिल पास करने के बाद कल राजस्थान सरकार गजट में शाया कर दे कि जैसलमेर का सारा इलाका हमने भूदान में दे दिया। इससे क्या होगा? जिस जमीन में उपज नहीं होती उस जमीन से, चाहे वह लाखों एकड़ ही क्यों न हो, क्या फायदा? यह टारगेट कोई काम का नहीं है। वास्तव में होना तो यह चाहिये कि जहां फसल हो रही है और जो फसल आज पैदा की जा रही है उस जमीन को देना चाहिये। यदि भूदान ही करना है तो एक कदम आगे रखना चाहिये। सारे राजस्थान में जिस जमीन में हल जोतने वाले हैं उस जमीन का दान करना चाहिये, लेकिन इस प्रकार की जमीन के लिये आपसी बात-चीत और समझौता करके उन्हीं के पास रखने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अभी जो बिल आया है उस पर बहुत कुछ कहा-सुना जायगा। आज इस सिल-सिले में कहने के लिये ज्यादा समय नहीं लूँगा। आपने चुनावों में किसानों से बड़े-बड़े वादे किये हैं और १०-१५ साल तक उनका नेतृत्व करना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। बच्चा घर में रोता है तो उसको खुश करने के लिये खिलौना देना चाहिये। असली मोटर न मिले तो कोई बात नहीं,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

चाबी से आंगन में चलने वाली मोटर देकर उसे खुश करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से आप जमीन की समस्या हल नहीं कर सकते।

क्या फायदा होगा भू-दान का कायदा पास करके? कोई फायदा नहीं होगा। कायदा पास करें, भू-दान का नहीं, जमीन पर अधिकार देने का, धरती में जो हल घुमाता है, उसको जमीन देने का। तभी भू-दान होगा, नहीं तो ढकोसला होगा।

अब मैं तीसरी बात का जिक्र करूँगा और वह यह है कि आखिर एक-डेढ़ वर्ष से देश में भू-दान का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो लोग इस आन्दोलन को लेकर चलने वाले हैं उनके इरादों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत अच्छे इरादे उनके हो सकते हैं, बहुत पाक इरादे उनके हो सकते हैं; परन्तु हकीकत यह हुई है कि आचार्य विनोबा भावे को अभी बिहार में जाकर यह कहना पड़ा कि जितना कोटा रखा था वह पूरा नहीं हो पाया है और तीन वर्षों तक कोशिश करने के बाद भी अब तक देश में जितनी भू-दान में जमीन इकट्ठी हुई है उससे करीब-करीब तीन गुनी जमीन ८ महीनों के अन्दर हैदराबाद के केवल तीन जिलों में, तैलंगाना में बांट दी गई।

उस इलाके में भी एक प्रकार का भू-दान दिया गया, उस इलाके में इस प्रकार का भू-दान किया गया कि जिससे चिढ़कर आज के शासक वर्ग के लोग कहने लगे कि वहां ज्यादतियां हुईं, अन्याय, खून-खच्चर किया गया। मैं कहता हूँ, यह सब गलत है। कॉंग्रेस के लोग वहां गये, डा० जयसुरिया वहां गये, स्वामी रामानन्द तीर्थ वहां गये और उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि वहां जुल्म-ज्यादती की गई, जानें ली गईं, बेकुसूर लोगों को मिलिटरी द्वारा, भारत सरकार की फौजों द्वारा मारा गया।

लेकिन उस पूरे अध्याय में मैं जाना पसन्द नहीं करूँगा।

एक विशेष बात जो नई हुई उसकी ओर सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा। उन्होंने भी एक प्रकार का भू-दान किया। बूढ़े-बूढ़े साठ-साठ, सत्तर-सत्तर साल के लोग थे। उनको याद था कि यह जमीन मेरी थी, यह कुआ मेरा था, कुर्क में छीन कर ले ली गई थी; जमीनदार आज भी उस जमीन को देखता था तो उसकी आंखों में खून उतर आता था। वहां की पंचायतों ने कानून निकाला कि अगर कुर्की में उसकी जमीन उससे छीन ली गई तो इसमें उसका क्या कुसूर है? आज की समाज ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि कुछ रुपयों के लेन-देन के मामले में फंस जाने के कारण, अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे होने के कारण उसकी जमीन कुर्क करवा कर उससे छीन ली गई। वहां की पंचायतों ने यह भू-दान किया कि यह जमीन उसको वापिस मिलेगी, कुर्कें रद्द की गईं जिन्होंने अपना खून-पसीना बहाकर जमीन को बोया था, जमीन को तैयार किया था वे जमीनें वापिस उनको दिलाई गईं और ऐसी ६ लाख एकड़ जमीन वहां किसानों में बांटी गई। अच्छी-अच्छी जमीनें

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

थीं, जिनके अन्दर फलों के, फूलों के और तरह-तरह के बागीचे लगाये गये थे और पांच सौ, छः-छः सौ बीघा जमीन इस किस्म की थी, नदी का पानी वहां उपलब्ध था और भी तरह-तरह की सहूलियतें उपलब्ध थीं, उन पर कब्जा कर रखा था जमींदारों ने । (घंटी) कितना समय और देंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--Your time is over.

श्री उपाध्यक्ष--Confine your speech to this Bill.

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं वही बोल रहा हूँ । वहां के नौजवानों ने खड़े होकर २५०० गांवों में, रजाकारों का काम बन्द कर दिया, भू-दान किया, किसानों को उनकी जमीनें वापिस दीं और कहा कि जिन मजदूरों के पास जमीनें नहीं हैं वे जमींदारों की जमीनों पर खेती करेंगे और जमीन का लगान देंगे । जो वाजिब किराया जमीन का है वह देंगे और इस प्रकार पिछले डेढ़-दो सालों में देश भर में जितनी जमीन भू-दान से उपलब्ध हुई उससे तीन गुना जमीन केवल तेलंगाना की तीन तहसीलों के २५०० गांवों में ८ महीनों के अन्दर ही दी गई और आखिर हैदराबाद सरकार को इसे मंजूर करना पड़ा, पुलिस और फौज की बन्दूकों के बल पर तीन साल तक लड़ाई लड़ने के बाद भी आखिर इस चीज को मंजूर करना पड़ा ।

अगर आपको भू-दान करना है तो एक ही कायदा पास करें कि जमीन जोतने वाले की है । इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मुझे आशा है कि सारा का सारा सदन, सारा नहीं तो उधर की ओर बैठने वाले तो मेरे पक्ष में राय देकर इस प्रस्ताव को पास करेंगे।

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो भू-दान यज्ञ बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्यूलेट करने का प्रस्ताव आया था उसका मैं विरोध करता हूँ । अगर यह बात किसी ऐसे क्वार्टर से आती कि जो देश के अन्दर शान्ति और सुव्यवस्था रखना चाहते हों तो हम इसके ऊपर विचार करने की बात सोचते लेकिन जिन मित्र की पोलिसी यह है कि तेलंगाना की तरह सब जगह मार-काट हो, अव्यवस्था हो, अराजकता फैले; उनकी तरफ से यह कोशिश की जाती है कि कोई थोड़ा बहुत भी एडवान्स होता हो, ऐसा विधेयक आवे तो उसको खटाई में डालने की कोशिश की जाय, तो ऐसी सूरत में हमारा परम कर्त्तव्य हो जाता है कि उसका विरोध किया जाय । हमारे मित्र ने फरमाया है कि तेलंगाना में यह हुआ, वह हुआ; जितने अत्याचार हुए पुलिस के हुए, फौज के हुए । यह बात उन्होंने उतनी ही तोड़-मरोड़ कर कही है जितनी कि उन्होंने थोड़ी देर पहले गंगानगर के बारे में कही थी । उनका तो काम ही यह है कि हर चीज की तोड़-मरोड़ करें, हर चीज की तोड़-फोड़ की जाय और तोड़-फोड़ करने से उसके अन्दर से जो चीज निकले उसको रूस तक पहुँचाया जाय । इसी नीति को लेकर वे ऐसी बातें करते हैं ।

[श्री मानसिंह महार]

उन्होंने भू-दान के बारे में यह नहीं फरमाया कि भू-दान में यह खामियां हैं, उनको पूरा किया जाय। उन्होंने केवल इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने का प्रस्ताव रखा है। वह इस लिये रखा है कि वे लोगों से कहें, गलत प्रचार करें कि जो जमीन देते हैं, जिसको बांटा जाता है वह तो ढकोसला-मात्र है। तेलंगाना में सरकारी अफसर मार दिये गये, सरकारी हुकूमत को कुछ नहीं माना गया। इस प्रकार से जमीन का बंटवारा किया जावे तो वे इसको सही माने में भू-दान मानते हैं। लेकिन आज हमारे देश को शांति की आवश्यकता है। भारतवर्ष नया आजाद हुआ देश है और हम लोग विनोबा और महात्मा गांधीजी के आदेशानुसार नहीं चलेंगे तो देश के अन्दर क्रांति आवेगी और इससे तो हमारे उन मित्रों को जरूर लाभ होगा: क्योंकि रूस की यही नीति रही है और ऐसा करके वे रूस की साम्यवादता को भारतवर्ष पर थोपना चाहते हैं। उनको तो बढ़ावा इसी चीज़ से मिल सकता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, हालाँकि मैं यह मानता हूँ कि इसमें कई खामियें हैं जो जनरल डिसक्शन में और क्लॉज बाई क्लॉज डिसक्शन में एमेंडमेंट्स से दूर हो सकती हैं, मगर वे इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट करके ४, ६, ८ महीने तक खत्ते में डाल देना चाहते हैं। ऐसा करने से यह बिल खत्ते में पड़ जावेगा। ऐसा करना मैं समझता हूँ कि देश में अराजकता को प्रोत्साहन ही देना होगा। इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस बिल को अवश्य कन्सीडरेशन के लिये लिया जावे।

श्री हरिदेव जोशी—उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे एक मित्र ने भूदान के इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये प्रसारित करने की बात कही है और उसके सपोर्ट में इसी सिलसिले में दो-चार बातें कह गये हैं। इससे पहले भी और आज भी मुझे उनके रिमार्क से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ; क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात को हमेशा अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, उनको ऐसा देखने का हक भी है। वे ऐसा क्यों कहते हैं और करते हैं; एक कहावत है कि "खिसियानी बिल्ली अपना खुदका मुँह नोचे"। जब कोई अपना प्रोग्राम अख्तयार करते हैं और उसके बाद उसमें उनको असफलता प्राप्त होती है तो उससे उनको चिढ़ पैदा होना आवश्यक है और यही बात हमारे मित्र पर लागू होती है। उनके कुछ मित्रों ने एक प्रकार का कार्यक्रम अख्तयार किया था और वह भी किसी एक जमाने के ढंग का और वह था लाठी, बर्छी, तलवारों व स्टेन गनों और दूसरे ऐसे हथियारों के जरिये; जिन लोगों के पास पैसा या जमीन हो उसको छीन कर अधिक ताकत जिसमें हो उसके पास से लेना था। इस तरीके को, जिसको उन्होंने खुद ने माना है, इसे वे भूदान कहते हैं। इसे वे यह जरिया कहते हैं जिससे आम आमदनी को बल मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तेलंगाना नहीं गया, इसलिये मैं उनके तथाकथित भूदान के बारे में वकफियत नहीं रखता। मगर मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि अगर उनका यह सिद्धान्त कि हर आदमी तलवार के बल पर या अस्त्र-शस्त्र के बल पर ही रहे तो पाशविक ताकत जिसमें ज्यादा होगी वह अधिक जमीन वाला और पैसे वाला होगा और उस समय नैतिकता और मनुष्यता की कीमत नहीं रहेगी। तेलंगाना में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है यदि

[श्री हरिदेव जोशी]

उनके कथनानुसार कोई न्याय लोगों के बल पर किया गया है तो उसको उल्टा जा सकता है। दूसरा जरिया तलवार, बन्दूक आदि के बल पर भूदान का है जिसका जिक्र हमारे मित्र ने अभी तेलंगाना का जिक्र करते हुए किया। मैं समझता हूँ कि निश्चितरूप से उस तरीके की निन्दा की जानी चाहिये। उसे हिकारत की नजरों से देखा जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि उन दो-तीन तहसीलों के आँकड़े जो माननीय सदस्य ने बताए वे सही हैं; क्योंकि मैं वहाँ नहीं गया। जो आँकड़े बताए हैं उनमें कितने फेक्ट्स हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि उनके इन तरीकों की देश को आवश्यकता नहीं है और खास कर हिन्दुस्तान जैसे देश में, जो अभी कुछ ही वर्षों में आजाद हुआ है; इस प्रकार की अराजकता की आवश्यकता नहीं है और न वह इस प्रकार की अराजकता को बर्दाश्त कर सकता है।

माननीय सदस्य ने पुलिस के अत्याचार की बात कही और कहा कि देश की सरकार ने उस व्यवस्था को उलट दिया। मैं यह कहूँगा कि देश में अराजकता पैदा करने वालों पर अगर कहीं पर व्यवस्था पैदा करने के लिए कोई शक्ति भी सरकार को काम में लानी पड़े और उस शक्ति में किसी को न्याय न मिल सके तो भी सरकार को शक्ति का अख्तयार करना चाहिये और इस प्रकार की शक्ति को अख्तयार करने में उनका कोई दोष नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आज जो भू-दान आचार्य विनोबाजी ने चलाया है वह संसार में अपने ढंग की अनोखी चीज़ है और दुनिया के ऐसे मुल्क के अन्दर यह चालू किया गया है जहाँ बेकारी है, जहाँ गरीबी है, जहाँ विषमता है। वहाँ के लोगों को आचार्य विनोबाजी ने एक प्रकार का नेतृत्व दिया है। उन्होंने देश में ऐसी फिज़ा पैदा की है जिससे लोग-बाग भूमि की समस्या के बारे में समझें। कई लोग भूमिदान के परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं और यह सम्भव है कि एक प्रकार का कार्य सारे के सारे कामों को पूरा न कर सके। मैं यह मानता हूँ कि भूमिदान सारे हिन्दुस्तान की समस्याओं को न सुलझा सकेगा लेकिन मैं यह निश्चितरूप से मानता हूँ कि इसने लोगों को विचार-शक्ति दी है और लोग-बाग यह सोचने लगे हैं कि विषमता को दूर किया जाना चाहिये और लोगों की दयनीय समस्या को हल किया जाना चाहिये।

इसमें भी कोई शक नहीं की लोग-बाग इस भूदान का बेजा फायदा उठा रहे हैं। कई लोग झगड़े की जमीन को भू-दान में दे देते हैं तो कई लोग नाकाबिले काश्त जमीन को भू-दान में दे देते हैं, जिससे कि उन लोगों को उतना फायदा नहीं हो सकता जितना कि इस भूदान-यज्ञ में काम करने वाले व्यक्ति सोच रहे हैं। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि कोई भी काम जो शुरू किया जाता है उससे अड़चनें आया ही करती हैं, मगर आज इस भूदान से आचार्य विनोबाजी की तरफ से हमको जो नेतृत्व मिला है और खास कर हिन्दुस्तान जैसे देश को, जिसने अहिंसा और सत्य के आधार पर महात्मा गाँधीजी के नेतृत्व के नीचे आजादी प्राप्त की, इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहिये और इसके पूरा करने में किसी प्रकार की अशान्ति नहीं होनी चाहिये। मैं ऐसा मानता हूँ कि भूदान

[श्री हरिदेव जोशी]

का कार्य देश को आगे बढ़ाएगा, देश को प्रगतिशील बनावेगा और बहुत हद तक देश को ऊँचा उठाने में काम आवेगा।

आज जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने इसे पब्लिक ओपीनियन के हेतु सरक्युलेट करने के लिये रखा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि, चाहे उन्होंने हमदर्दी पूर्वक ही रखा हो, इससे निश्चितरूप से बाधा पैदा होगी। भूदान आन्दोलन राजस्थान की चीज़ ही नहीं है, यह तो अखिल भारत-वर्षीय चीज़ है। इसने अपना काम शुरू कर दिया है और आज लाखों बीघा जमीन राजस्थान में आ चुकी है और इस जमीन को हमें काम में लाना है। यदि आज इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सरक्युलेट किया जाता है तो कई महीनों के लिये यह काम रुक जावेगा और जिस इच्छा से भूदान का कार्य प्रारम्भ किया गया है वह पृष्ठ-भूमि ही समाप्त हो जावेगी और लोगों को जो राहत मिलनी चाहिये, नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा यह विरोध है कि इसे अभी विचारार्थ ले लिया जाना चाहिये और जो कुछ खामियें हैं वे एमेंडमेंट के जरिये सुधार ली जानी चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—मैं शुरू से ही आशा करता था कि जिन माननीय सदस्य ने इस बिल को लोक-मत के लिए प्रसारित करने का संशोधन रखा है वह उनकी विचारधारा की दृष्टि से ठीक था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सदन के जितने अन्य सदस्य हैं, अधिकतर इस बात का अनुभव करते हैं कि भूदान का बिल बहुत ही आवश्यक है और जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाय। इस प्रकार का यह बिल है। जब विरोधी दल के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि बजाय भू-दान की बात को कहने के वे अधिक, तेलंगाना में क्या किया गया, क्या नहीं किया गया उसका प्रचार करने के लिये ही इस अवसर का उपयोग करना चाहते थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने जो कुछ किया अच्छा किया, ताकि यह मूल प्रश्न विचारार्थ सबके सामने आ गया। यह मानी हुई बात है माननीय उपाध्यक्षजी, कि जिन माननीय सदस्य ने इस बात को रखा है वे हिंसा के आधार पर एक विचारधारा को मान कर चलते हैं और उसमें देश, काल और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने में कम विश्वास करते हैं। मूल में कैसी ही विचारधारा हो, जो बड़ी भूमि वाले हैं छोटी भूमि वालों पर किसी प्रकार का शोषण करके यदि गलत लाभ उठा रहे हैं तो उसे दूर किया जाय। तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमें कभी न एतराज रहा है और आगे भी न रहेगा। मैं समझता हूँ कि अब तक की अपनी कार्यवाहियों से इस बात का सुबूत हमने दिया है कि हम इस लक्ष्य को सामने रख कर चलते हैं कि जमीन के जोतने वालों को अधिक से अधिक अधिकार दिये जायँ। जागीर रिज़म्पशन बिल आपके सामने है, टिनेन्सी बिल भी अन्तिमरूप से स्वीकार किया जायगा और उन दोनों को देखने के बाद शंका की कम गुन्जाइश रहेगी कि हमारे दिल में इस प्रकार की बातें हैं कि हम बड़े-बड़े जमींदार और बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिकों को खड़ा करना चाहते हैं अथवा हमारी इस प्रकार की कोई नीति है। मूल प्रश्न तो यह है कि हम इस सारी व्यवस्था में परिवर्तन किस प्रकार करें! जिस प्रकार की विचारधारा को वे मानते है, वह विचार-धार समाज में अन्दर का सुधार होकर आये उसके विरोधी हैं, क्योंकि क्रान्ति में देर लगती है। वे मानकर चलते हैं कि जितना असंतोष बढ़े, जितना ज्यादा शोषण बढ़े, उतनी ही जल्दी

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

क्रान्ति करने के लिए आवश्यक कीटाणु पैदा करने का अवसर प्राप्त होता है और साधन मिलते हैं। मूल में जिस बात को उन्होंने कहा वह वास्तविक बात है। तेलंगाना के अन्दर से ही भूदान का जन्म हुआ है, जहाँ पर इतनी खून खराबी हुई। उसके बाद आचार्य विनोबा-भावे ने इस आन्दोलन को जन्म दिया है, वहीं से इस आन्दोलन ने जड़ पकड़ी है। हिन्दुस्तान के दूसरे इलाके तेलंगाना नहीं बन गये; क्योंकि भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष की परम्पराओं को अगर हम देखें तो हमें मालूम होगा कि जब महात्मा गाँधी ने भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए अहिंसा के प्रयोग की बात कही तो उसको स्वीकार नहीं किया गया। लोग कहा यह करते थे कि यह तो असंभव बात है क्या इसके जरिये क्रान्ति पैदा की जा सकती है अथवा स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है? किन्तु उसने स्वतन्त्रता प्रदान की। आचार्य विनोबा भावे भी बड़ी क्रान्ति कर रहे हैं। भूमि की समस्या को निपटाने के लिए अपने तरीके से उस काम को कर रहे हैं। उस काम के जरिये, यह निश्चित बात है कि वह ठीक है, विरोधी पक्ष वाले माननीय सदस्य के अनुसार अगर आचार्य भावे भूमि-समस्या को लेकर क्रान्ति करेंगे तो असफल हो जायेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि केवल भू-दान बिल को पास कर देने से ही सब कुछ नहीं होगा और भूमि की समस्या हल नहीं होगी, किन्तु अन्य प्रकार के जरियों से जो प्रयत्न चालू हैं उनसे तथा और कानून बनाने से अधिक से अधिक अधिकार उन लोगों को मिले जो जमीनों को स्वयं जोतते हैं, कमाते हैं और मेहनत करते हैं। अन्य कामों के जरिये से भी इस परीक्षा को देखना उचित होगा। मीरा बहिन ने और दूसरों ने अलग-अलग रायें दी हैं। आज देश के अन्दर इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि आचार्य विनोबा भावे जितने सुलझे हुए विचार रखते हैं और आज की परिस्थिति में जिस हिम्मत से काम कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्षजी, यदि यह कहा जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा कि न केवल भारतवर्ष किन्तु दूसरे देश भी इस परीक्षण को देख रहे हैं। भारतवर्ष ही ऐसा देश हो सकता है जहाँ अहिंसा का परीक्षण हुआ और भूदान का परीक्षण करके भूमि समस्या का हल कर रहा है। भारतवर्ष ही ऐसा देश हो सकता है, जबकि संसार के अन्दर युद्ध के तरीकों की बातें होती हैं, किन्तु जो यह कहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिये; यहाँ की विचार-धारा के अन्दर ही यह बात है और समय-समय पर इन विचार-धाराओं को अवसर दिया गया है। मैं समझता हूँ यह ठीक है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो गलत प्रकार की भूमि दे और उस प्रकार की भूमि देने वाले व्यक्ति आज ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कल ज्यों ज्यों वातावरण बनता जायगा, देश-व्यापी वातावरण बनता जायगा वह चीज नहीं रहेगी, माननीय उपाध्यक्षजी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बाबू जयप्रकाश नारायण जैसा व्यक्ति जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, हालाँकि भिन्न विचारधारा के होते हुए भी, उन्होंने अपना जीवन इस भू-दान के लिए दे दिया है। अन्य भी कई व्यक्ति हैं जो अपना जीवन भू-दान के लिए दे रहे हैं और अगर वे अपना जीवन देते हैं और काम करते हैं तो हम सब मिल कर यदि काम करते हैं, और अगर यह प्रयोग सफल हो तो यह बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। एक प्रयत्न असफल होता है वह दूसरी बात है, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि देश के अन्दर अगर यह वातावरण बनाया जाय कि भू-दान यज्ञ के पीछे क्या भावना है, जिसके पास जमीन नहीं है उसको जोतने के लिए दें, तो मूल विचारधारा से कोई विरोध नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि देश में अच्छा वातावरण बने, भूमिहीन किसानों में खून-खच्चर किये बिना उनके जीवन के लिये जमीन मिले। यदि हम इस

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

समस्या को सामने लेकर चलते हैं कि देश में वातावरण बनाकर पहले इसका फायदा उठाया जाय और यदि हम अधिकार देने की बात करते हैं तो जो भूमिहीन किसानों में भूमि बांटने का आन्दोलन चल रहा है उसको बल मिलता है। उसने एक वातावरण पैदा किया है और आगे भी करेगा। उस वातावरण के जरिये से एक क्रान्ति हो सकती है। अगर इसमें कोई रुकावट होती है तो उसको दूर करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ जब माननीय मित्र ने कहा कि मठ और मठाधीश कायम न किये जांय। अगर वे तेलंगाना में असफल हुए और मठ और मठाधीश कायम न कर पाये; उस चीज़ में सफल न हो पाये, आगे न बढ़ पाये तो अगर वे रोष, यह कह कर प्रकट करते हैं कि इससे मठ और मठाधीश कायम हो जायेंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह ठीक नहीं है और यह तो उनका अपना तरीका है। सवाल तो दर असल भूमिहीनों को भूमि देने का है। कुछ जमीन खराब मिली है तो कुछ अच्छी भी मिली है। कुछ जमीन अच्छी मिली है उसमें कुछ आदमियों को बसाने का काम हो जायगा। यह काम वहीं समाप्त नहीं हो जाता। सरकार मिल कर काम करती है और देश में मिलकर वातावरण बनाया जाता है। दिन रात काम करने वाले, जीवन देने वाले व्यक्ति वातावरण बनाते हैं कि भूमि का वितरण फिर से होना चाहिये। वह वातावरण मूल में बनता है। उसको बनाने के लिए शन्तिमय तरीके कैसे हों? तो भू-दान का ही एक तरीका है और मैं समझता हूँ कि इसमें अधिक विलम्ब करना उपयुक्त नहीं है।

इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय यह जो बात कही जा रही है, लेकिन दरअसल इसको जनमत के लिए भेजने की इच्छा उनकी नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहना पसन्द करूंगा कि यदि उनका वश चले तो यह भूदान नाम की चीज़ को इस देश में न रहने दें। यह जो जन-मत की बात कही गई है वह सिर्फ इस भूदान बिल को टालने के लिए कही गई है। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि 'इस चीज़ को आगे न बढ़ा कर इस प्रश्न को इसी वक्त विचारार्थ लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं सिर्फ पाँच मिनिट के समय के भीतर ही उन बातों का जवाब दे दूंगा जो मेरे भाषण के सिलसिले में कही गई हैं। मैंने बड़ी गंभीरता से यहाँ जो तकरीरें व भाषण हुए उनको सुना और सिवाय इसके कि मेरी पार्टी के कार्यक्रम के बारे में मनगढ़न्त ऐतराजात और आरोप लगाये है, इस आन्दोलन के पक्ष में विशेष कोई बात सुनने को नहीं मिली। बहुत सी बातें कही गईं, लेकिन माननीय मन्त्री यह भूल गये कि मैंने जो सुझाव दिया था वह एकदम, निखालिस, १६ आना अहिंसक सुझाव था। इस सदन द्वारा कायदे बना दिये जांय और सदन द्वारा कायदे बनाये जाकर भूमिहीन किसानों को जमीन देने की बात मैंने कही थी। उस दृष्टि को माननीय मन्त्री नहीं समझ सके। इसमें मेरा दोष नहीं।

मेरे दूसरे मित्र ने कहा कि तेलंगाना आन्दोलन जितना कामयाब हुआ उसका गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मित्र के लिये यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बहुत अच्छा होता यदि वे इस विषय में पंडित नेहरू से पूछ लेते, क्योंकि सरदार पटेल तो इस समय जिन्दा नहीं हैं, तो उनको पता चलता। आपको तेलंगाना आन्दोलन की फिकर करने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना क्षेत्रों में जितनी जमीन थी उसमें से ८० फीसदी जमीन वहाँ के किसानों के हाथ में हैं। हैदराबाद की सरकार ने किसानों के लिये कानून बनाकर उनके अधिकार को माना है और उसी पर यह आन्दोलन समाप्त हुआ है। आपको वहाँ की चिन्ता नहीं होनी चाहिये। अब प्रश्न यह है कि यहाँ जो इसके लिये वातावरण है वह किस हद तक ठीक है, इस पर हमें सोचना चाहिये। कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी मामले हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इससे हुआ क्या है यह आप अगर मेरे मुंह से सुनेंगे तो आपको तसल्ली नहीं होगी। आप इस भूदान-आन्दोलन के प्रवर्तक, श्री विनोबा भावे से सुनिये जो पिछले साल बिहार में इस आन्दोलन के सिलसिले में गये थे। आप जयप्रकाश बाबू से सुनिये जो उसी बिहार के रहने वाले हैं। उसी बिहार की एक कांग्रेसी पत्र "राष्ट्रवाणी" ने लिखा है "Dated 15-1-54—About a year and a half had elapsed since Bhoodan movement was started in Bihar. In this period Acharya Vinoba Bhave has covered nearly all the districts in his tour. It has been announced that so far 18 lacs acres of land but the reality is, Mr. Deputy Speaker, I want my friend, the Hon'ble Minister to note these words," but the reality is that most of this land is non-arable, nor had the donor any legal title to this. It is clear that such land cannot be distributed nor can it in any way help the solution of the land problem."

यह मैंने बिहार के कांग्रेसी दैनिक पत्र राष्ट्रवाणी के १५ जनवरी के अंक से उद्धरण बताया है।

दूसरी चीज़, इसी पत्र के फरवरी १४ के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें यह लिखा गया था कि एक राजा ने (श्री अवधेशनारायणसिंह) साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि का भूमिदान किया है। इसके लिये पत्र ने आगे लिखा है : "He had no legal title to the land that he had donated. The purpose of Raja Avdheshnarayansingh's donations is nothing but self aggradisement; because the land he has donated has ceased to belong to him."

मैंने इसको जन-मत के लिये भेजे जाने के लिए इसलिये कहा है कि हम इसके लिये एक कानून बनायें और कानूनी रूप में अधिकार दे दें। इससे आन्दोलन का कोई ताल्लुक नहीं है। आप आन्दोलन करिये, विनोबाजी करिये, दूसरे लोग भी करें और राजस्थान के मन्त्री-गण भी चाहें तो वे अपनी कुर्सी को छोड़कर इस आन्दोलन में शामिल हो जाँय, अगर उनको भूदान इतना पसन्द है। उनको कोई रोकेगा नहीं। उनको चाहिये कि वे इस जीवन को छोड़कर भूदान-आन्दोलन में विनोबाजी को सहयोग दें। लेकिन जहाँ तक कानून का प्रश्न है यह किसी के आन्दोलन का प्रश्न नहीं। कानून अगर बनाना है तो इसकी उपयोगिता को देखना पड़ेगा। इसके क्या फायदा होता है, यह भी देखना पडेगा। अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत काम भी होता है तो वह यह कि जो रद्दी से रद्दी जमीन होती है वह तो गरीबों को मिलती है और जो अच्छी जमीन होती है उनके लिये गजट में शाया होता है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और जिसका देश-भक्ति में पहला नंबर हो उसको भूदान के रूप में जमीन मिल जाती है; तो इस प्रकार से जनमत के लिये भेजना इस बिल के लिये श्रेयकर होगा। अगर मैंने जो बातें कही हैं उन पर मेरे मित्र को भरोसा नहीं हो तो कम से कम जो कॉंग्रेस का विश्वस्त पत्र है राष्ट्रवाणी उसमें लिखी हुई बातों पर विचार करें और अपना मत इस पक्ष में दें कि यह बिल जनता की राय के लिए सक्युंलेट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—The question that the Bill be circulated for eliciting public opinion thereon by Octobr 30, 1954, be accepted.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

The question is that the Bill be taken into consideation ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान हुई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, जब कि मूल प्रस्ताव पर मत ले लिये गये तो अब बाद में अमेन्डमेन्ट शुरू होते हैं। मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज १ के सब क्लॉज (२) में है। चूंकि मेरे पास मेरे संशोधनों की कॉपी सक्युंलेट होकर नहीं आई है, अतः मेरे द्वारा भेजे हुए संशोधनों की जो कॉपी है उसी से मैं अपने अमेन्डमेन्ट्स पेश करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—All are your amendments.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir... ...

श्री उपाध्यक्ष—You have no copy of the list ?

(विराम)

पहले सूचना कर दी गई है। फिर भी अगर कॉपी नहीं मिली है तो कॉपी मंगाई गई है दूसरी।

श्री हरिदेव जोशी—ऐसे जो अमेन्डमेंट श्री व्यास ने भेजे हैं वे भी शायद आये नहीं हैं और दूसरी बात यह है कि और भी अमेंडमेंट आने की बात थी। अभी आचार्य विनोबा भावे से भी इस सम्बन्ध में चर्चा करने के बाद कुछ लोग आये हैं और उन्होंने भी काफी सुझाव दिये हैं इस सिलसिले में और ये सुझाव काफी कीमती हैं, जो इसमें सम्मिलित किये जाने योग्य हैं। इसलिए अगर आप इजाजत दें तो कल ये ले लिए जावें और मैं समझता हूँ कि इससे सम्बन्धित माननीय मन्त्री महोदय

[श्री हरिदेव जोशी]

भी सहमत होंगे कि जो अमेंडमेंट इस पर हैं वे इतने उपयोगी हैं कि उनको लिया जाना आवश्यक है। उन्हें अभी भी स्वीकार कर लिया जा सकता है, पर दूसरों को भी उन पर विचार करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—तो कल के लिए रख लिया जावे ? सदन की क्या इच्छा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—I have no objection.

श्री उपाध्यक्ष—इस पर विचार कल के लिए मुल्तवी कर दिया जाता है और अब दूसरे संशोधन हैं वे लिए जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आज अमेंडमेंट अगर दिये गये हैं और कल उन पर विचार किया जावेगा तो दो दिन का नोटिस पूरा नहीं होगा तो फिर आज लिए जाने वाले अमेंडमेंट के लिए तो कल स्थगित किया जाना बेकार है और इस पर भी कोई कारण हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसकी सफाई हो जावे तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसे स्वीकार करने के लिए इसलिए तत्पर हुआ कि जिनके (विनोबाजी के) कार्य को सहयोग देने की दृष्टि से इस बिल को यहाँ लाया जा रहा है उन्हीं की सलाह से ये अमेंडमेंट लाये जा रहे हैं। उन पर सदन को विचार करने का अवसर मिले तो इस दृष्टि से मैंने यह सुझाव अंगीकार किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यदि आज लिये जावें तो दो दिन का नोटिस पूरा होने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—बिल के मूवर यह चाहते हैं कि और समय दिया जावे। जो संशोधन बिल के साथ लिए जाने वाले हैं उनको भी साथ में लिया जावे। इस दृष्टि से यह बात है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर यह मन्शा है तो आठ-दस दिन और आगे बढ़ाया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— नहीं, नहीं।

श्री भोलानाथ—इसे कल के लिए स्थगित किया जावे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष—राजस्थान होल्डिंग......

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, आज तो बड़ी सुस्ती अब आ रही है, इसलिए अब तो छुट्टी हो जावे तो अच्छा है।

एक सदस्य—गरमी अधिक है साहब। काम भी बहुत हो गया है।

कुँ० श्री जसवनसिंह—छुट्टी करें। उपाध्यक्ष महोदय, आज पहला ही दिन है सैशन का और सदस्य भी अधिक नहीं आये हैं और गरमी भी सख्त है। तीन घन्टे काम कर चुके हैं इसलिए आज सैशन स्थगित होकर कल से काम किया जावे तो मैं समझता हूँ अच्छा हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमारे विरोधी पक्ष के नेता की बात के बारे में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—कल किस समय आवें ?

राजस्थान सीमेन्ट विक्रय करारोपण विधेयक, १९५४

श्री उपाध्यक्ष—सीमेंट बिल, जो प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया है, उसके सदस्यों की नामावली यह है—

१. सम्बन्धित मन्त्री
२. कार्यवाहक सदस्य
३. एडवोकेट जनरल
४. श्री घासीराम
५. श्री घीसीसिंह
६. श्री हंसराज
७. श्री रामलाल बंसीवाल
८. श्री धूलजी भाई
९. श्री कस्तूरचन्द
१०. श्री रामदयाल उपाध्याय
११. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
१२. श्री रामकिशोर व्यास
१३. श्री सुगनचन्द जैन
१४. श्री नारायण लाल
१५. श्री चाँदमल मेहता
१६. श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा
१७. श्री शम्भूसिंह
१८. श्री मोहब्बतसिंह
१९. श्री हरिदत्त
२०. श्री हनुवन्तसिंह
२१. श्री के० सज्जनसिंह

यह २१ सदस्यों की सूची है।

[श्रीउपाध्यक्ष]

क्या यह हाउस को स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है ।

कल के लिए टाइम कौनसा हो ?

सदन की बैठकों का समय निर्धारित करने सम्बन्धी-वाद-विवाद

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, टाइम के लिए इस सदन के नेता के मध्य में और मेरे मध्य में बात हुई है । उनका ऐसा विचार है, अगर वे स्वयं भी सदन में उपस्थित हों तो और विचार कर लिया जावे, कि सुबह सदन की मीटिंग होने से राज्य कार्य में बहुत कुछ तकलीफ हो जाती है । एक तो सुबह के ऑफिसेज़ हैं और इसी समय में अगर हमारी मीटिंग होती है, तो आफ्टर नून में लेजिस्लेटिव वर्क के मुतल्लिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ऑफीसर्स को बुलाना, उनसे इत्तलाएं लेना और दूसरे जो मेम्बरों को सूचनाएं दी जाती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए उनका विचार है कि सेशन हमेशा अब शाम के वक्त हो जिससे दफ्तर के काम में भी रुकावट न हो, वह भी हमेशा की तरह चलता रहे और शाम को सदन की मीटिंग होती रहे, ताकि दूसरे दिन जो कुछ सवाल इस सदन में उठें उनके मुतल्लिक अफसरों और दफ्तरों से मालूम करके शाम के समय सदन को सब इत्तला दी जा सके, उनका यह कहना है । इस बारे में मेरी राय अगर लें तो सरकारी पक्ष को इस बात में सुभीता है तो हमें इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिये ।

दूसरी ओर हम में से बहुतों का ख्याल है कि इससे हमें काफी तकलीफें होंगी। तब, हमें यह देखना है कि अगर हम थोड़े से लोगों की तकलीफ को देखते हुए उधर सरकार को अगर काफी सहूलियत होती है और आम लोगों को सहूलियत होती है तो हमें इसमें खुशी होनी चाहिये । तो, इसलिए अगर सदन के नेता का यह इरादा है कि शाम को मीटिंग हो तो हमें इसे मन्जूर कर लेना चाहिये । हो सकता है, जरा तकलीफ हमें होगी । पर हमें इसके मुकाबले में उनकी सहूलियत को ज्यादा महत्व देना चाहिये । खास टाइम उन्होंने नहीं बताया । पर, यह तो हम देख सकते हैं कि पांच से नौ या पाँच से साढ़े आठ, जैसा भी हो, रख सकते हैं । साढ़े तीन घंटे में भी काफी काम हो सकता है और अगर सीरियसली काम किया जावे तो तीन घंटे में भी काफी काम हो सकता है । पर, फिर भी कुछ न कुछ तय हो जाना चाहिये । तीन-साढ़े तीन घंटे आम तौर पर यानि साढ़े आठ बजे या ज्यादा से ज्यादा ९ बजे तक अधिवेशन हो ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मन्त्री)--मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव अभी रक्खा गया है वह अपने सदन के नेता से बातचीत करने के बाद रक्खा गया है, तो इसमें हमें तो सुभीता रहेगा । इसमें समय पाँच से ९ रक्खा जावे तो ज्यादा उपयुक्त होगा । इससे हमें सुबह काम करने का अवसर भी मिल जाता है । अब आठ या साढ़े आठ का सवाल आता है । आठ हो या नौ हो यह तो कल भी देखा जा सकता है । पर पाँच बजे शाम से बैठक हो, यह ज्यादा ठीक रहेगा ।

Page No.73

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री लोग सुबह काम करते हैं और फिर शाम को सदन में आते हैं तो उनके जवाब में चुस्ती नहीं रहती है। इसलिए मेरी राय है कि सुबह का समय रहे तो सदन में चहल-पहल रहे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शाम की बातचीत में जरा वह रहता है।

श्री उपाध्यक्ष—सदन की क्या सम्मति है। आप लोगों (मंत्री गण) के टाइम के लिए, सुविधा की दृष्टि से तो यह उपयुक्त लगता है। आपकी (श्री मन्त्री की) भी यह सम्मति है कि ५ से ८ बजे का समय रहे। तो कल ५ से ६ बजे तक या काम की सुविधा होगी तो जल्दी भी कर दिया जायगा तो फिर ५ बजे कल आयेंगे। आगे भी यह टाइम रहेगा, जब तक आप बदलेंगे नहीं। तो, आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही ७ बज कर १५ मिनिट पर कल दिनांक १६-५-५४, बुधवार के ५ बजे सायं तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—१८ मई, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

———

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

८. (५० सी. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए., विभाजन संख्या ५६:—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि ग्राम काठाला तहसील चाकसू, ज़िला जयपुर के चमारों की औरतों के चाँदी के कड़े वहाँ के सवर्ण हिन्दुओं द्वारा जबरदस्ती खोल लिए गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा भी चल रहा है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और चल रहा है तो वह किस स्टेज पर है ?

उत्तर

हाँ, यह सत्य है कि दिनाँक ३–७–५३ को ग्राम काठला की दो चमार औरतों के चाँदी के कड़े वहाँ के सवर्ण हिन्दुओं द्वारा खोल लिये गये। वे चाँदी के कड़े उनको वहाँ पर उसी समय वापिस दे दिये गये।

(क) इस विषय की सूचना मिलने पर मुकदमा नं० ४७ भारतीय दन्ड संग्रह की धारा १४७ में थाना चाकसू में दर्ज किया गया था।

(ख) नौ सवर्ण हिन्दू गिरफ्तार किये गये और उनको Extra Magistrate, Jaipur की अदालत में दिनाँक ६–७–५३ को चालान कर दिया गया है। मुकदमा अभी तक अदालत में चल रहा है।

प्रश्न

९. (२५२ सी. एम.) श्री श्रीगोपाल भार्गव, एम. एल. ए., विभाजन संख्या १४३ :—क्या उद्योग तथा व्यवसाय मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर स्टोन कम्पनी को ठेका कब व किन शरायत पर और कितनी मुद्दत को व कितने रुपये में दिया गया ?

(ख) क्या मौजूदा ठेकेदार को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पावर्स दी गई हैं कि वह धौलपुर यूनिट की जनता से अगर वह धौलपुर यूनिट के बाहर से पत्थर लावे तो उस पर वह रायल्टी वसूल करलें ?

(ग) अगर नहीं दी गई तो भी क्या ठेकेदार मौजूदा पब्लिक से रायल्टी वसूल करता रहा है और इसकी शिकायत गवर्नमेंट के पास आई ?

(घ) यदि हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या कार्यवाही की और यह रुपया उससे वसूल किया या नहीं ?

(ङ) अगर नहीं, तो क्यों और क्या गवर्नमेंट उस रुपय को वसूल करने को तैयार है ?

(च) क्या धौलपुर स्टोन कम्पनी के खिलाफ धौलपुर जनता की तरफ रेट से ज्यादा कीमत वसूल करने तथा पत्थर हस्ब जरूरत सप्लाई न करने की शिकायतें गवर्नमेंट के पास आई ?

(छ) यदि हाँ तो गवर्नमेंट ने इन शिकायतों पर ठेका मन्सूख कर दिया ?

(ज) अगर किया गया तो कब ?

(झ) क्या ठेका मन्सूख होने के बाद नीलाम न बोला जाकर आरजी तौर पर मयाद बढ़ाई जाती रही ?

(ट) अगर बढ़ाई जाती रही तो कब से कब तक और कितनी मरतबा और क्यों नीलाम न किया जाकर मयाद बढ़ाई जाती रही ?

(ठ) क्या यह फैक्ट है कि ३१-३-५४ को टेम्परेरी लीज़ की मुद्दत भी खतम हो रही है।

(ड) अगर हो रही है, तो गवर्नमेंट का इस ठेके को नीलाम करने का विचार है ?

(ढ) अगर है, तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) धौलपुर स्टोन कम्पनी का ठेका सन् १९४४ से चला आ रहा है और ता० १-२-४६ से ५ वर्ष को भूतपूर्व मत्स्य सरकार द्वारा ठेके की अवधि इस शर्त पर बढ़ाई गई कि उसको राजस्थान सरकार मान लेगी लेकिन शर्तें वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गईं और पार्टी को उसके ठेके की समाप्ति का नोटिस १-१-५३ से दिया गया और गत दो वर्षों से पार्टी का पिछले ठेकों की शर्तों पर तीन २ महीने के अवधि के लिये अस्थायी इजाजत दी जाती रही है। आखिरी अस्थायी अनुमति जो १-१-५४ को दी गई ३१-३ ५४ को खत्म हो गई। १-१-५४ से वसूल होने वाला डेड रेन्ट (स्थायी भाड़ा) १७५००० रुपया होता है व इसके पहिले ५ साल का भाड़ा ५२००० रुपये वार्षिक था।

(२) इसके पश्चात् ३ महीने की इजाजत और दे दी गई है जो तारीख ३०-६-५४ को समाप्त होगी। डाइरेक्टर ऑफ माइन्स को आदेश दे दिया गया है कि वह अपने नये प्रस्ताव इस प्रकार से पेश करें कि जिसके अन्तर्गत किसी पार्टी को इतना बड़ा क्षेत्र न दिया जाय। उत्तर प्रदेश से लाये गये पत्थर पर ६ आने प्रति घनफुट कर वसूल करना ठेके की शरायत के अनुसार है। और जब तक यह लागू है तब तक जनता को इस बारे में कोई सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है। जनता की

शिकायतें इस टेक्स के बारे में प्राप्त हुई हैं। पर जैसा कहा जा चुका है जब तक ठेके की शर्तें नहीं बदल दी जाती उन पर कुछ कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। पत्थर की रेट व सप्लाई के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध सरकार के पास शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कम्पनी ने स्वयं कीमत में कमी करना स्वीकार कर लिया था। अब जनता को इस बारे में शायद कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इन दिनों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

हाँ, नौ मरतबा और तीन-तीन महीने के लिए।

हाँ, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

१०. (२५६/सी. एम.) श्री बलवीरसिंह, एम. एल. ए. विभाजन संख्या ७—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) माननीय मुख्य मन्त्री जी का एक नया परीक्षण डाकुओं को अच्छे नागरिक बनाने के सिलसिले में चल रहा है और इसी सिलसिले में साँकड़ा ग्राम में एक गाँधी मेले का आयोजन किया गया था। इसी गाँधी मेले में कुल कितना खर्चा हुआ :

(अ) तमाम ऑफिसर्स व मिनिस्टर्स का टी. ए., डी. ए.,

(ब) एग्जीबिशन का सामान इधर-उधर ले जाने में; एवं

(स) अतिथियों के सम्मान में।

(ख) इस मेले में कितने लोगों को फायदा हुआ ?

(ग) क्या यह लोगों को प्राप्त शुदा लाभ इस नये परीक्षण के खर्चे के प्रोपोर्शन में वाजिब है ?

(घ) इस नये परीक्षण के फलस्वरूप कितने डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया ?

(ङ) किन-किन डाकुओं ने किन-किन मिनिस्टर्स व पुलिस ऑफिसर्स के सामने आत्म समर्पण किया ?

(च) जिन-जिन डाकुओं ने आत्म-समर्पण किया उनके खिलाफ कितने व किन-किन पीनल कोड की धाराओं का अपराध है ?

(छ) आत्म-समर्पण करने के बाद एक-एक अपराधी के साथ क्या क्या कानूनी सलूक हुआ ?

(ज) इस नये परीक्षण के स्वरूप जो कानूनी बर्ताव इन आत्म-समर्पण करने वाले डाकुओं के साथ हो रहा है या हुआ है उसकी प्रतिक्रिया उन लोगों पर क्या हुई है, जिनके मनुष्य इन आदमियों द्वारा मारे गये हैं और जिनका माल इन लुटेरों द्वारा लूटा गया है ?

(उत्तर उपलब्ध नहीं हो सका)

प्रश्न

11. (238/C. M.) **Shri Moti Lal Chaudhary, M. L. A., Division No. 106**— Will the Home Minister be pleased to answer:—

(a) How many decoities took place in District Nagaur in the year 1951-52, 1952-53 and 1953-54 ?

(b) How many of them were detected ?

(c) How many murder cases occurred in Disrict Nagaur in the year 1951-52, 1952-53 and 1953-54 ?

(d) How many of the accused were or are prosecuted and penalised ?

उत्तर

(क) नागौर डिस्ट्रिक्ट में मार्च १९५४ तक १९५१, १९५२, १९५३ तथा १९५४ के वर्षों में डकैती के २८ मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इन २८ मामलों में से ६ तो झूठे थे तथा २२ मामले स्वीकृत किये गये। थाने तथा तहसील वार संख्या बताते हुए एक विवरण सदन की मेज पर रखा हुआ है।

(ख) इन २२ मामलों में से १४ का चालान किया गया ६ का पता नहीं लगा तथा २ की अभी जांच-पड़ताल हो रही है।

(ग) नागौर डिस्ट्रिक्ट में मार्च १९५४ तक १९५१, १९५२, १९५३ तथा १९५४ के वर्षों में कत्ल के ६२ मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वर्षवार संख्या बताते हुए एक विवरण सदन की मेज पर रखा हुआ है।

(घ) कत्ल के उपर्युक्त मामलों में १९१ अपराधियों के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया जिनमें से १३ को दोषी ठहराया गया, ५ को बरी किया गया या छोड़ दिया गया, और १७३ अपराधियों की अभी वैधिक परीक्षा हो रही है।